राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक सत्र की कार्यवाही

ग्यारहवीं बैठक, सोमवार—दिनांक १४ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख १४ अप्रेल, १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हाल, जयपुर में ८ बजकर ३० मिनिट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) ने आसन ग्रहण किया।

तारांकित प्रश्न

माननीय अध्यक्षः—आज सबसे पहले प्रश्न लिये जायेंगे।

प्रश्न संख्या १

श्री मोतीरामः-क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन व मजदूरों को आबाद करने के लिए रियायती कीमत पर म्युनिसिपल हद्द के अन्दर मकान बनाने के लिए सरकार जमीन देने का प्रबन्ध कर रही है या नहीं।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः—माननीय अध्यक्षजी, एम.एल.ए. श्री मोतीरामजी ने यह सवाल पूछा है कि क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन व मजदूरों को आबाद करने के लिए रियायती कीमत पर म्युनिसिपल हद्द के अन्दर मकान बनाने के लिए सरकार जमीन देने का प्रबंध कर रही है या नहीं। इसके सवाल के उत्तर में मैं स्वायत्त शासन महकमे के मंत्री के नाते हाउस के सामने यह बताना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने किसी खास म्युनिसिपैलिटी के बारे में यह नहीं पूछा है जिसकी कि पूर्ति की जा सके। ओन दी होल सारी म्युनिसिपैलिटियां हैं, जहां पर हरिजनों को बसाने का सवाल है। यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। यह कोशिश की जा रही है कि उनको रियायत दी जाय और उनको ठीक तरह से बसाया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर नगर के हरिजन बस्तियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

मा० श्री नाथूराम मिर्धाः—यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जसवन्तसिंहः—सरकार यह निर्णय कब तक कर सकेगी ?

मा० श्री नाथूराम मिर्धा:—अंतिम निर्णय करने के लिए सारे फेक्ट्स और कई बातों की जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है; इसलिए इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है ।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या यह उम्मीद करें कि यह ५ साल में पूरी हो जायगी ?

मा० श्री नाथूराम मिर्धा:—यह निर्णय करने के लिए ५ वर्ष की अवधि जरूरी नहीं है । वह जल्दी ही विचार कर लेगी ।

श्री मानसिंह:—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए कोई कमेटी बैठेगी जो महीने बीस दिन में फैसला कर लेगी ?

मा० श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके लिए कोई कमेटी बैठाकर फैसला करने की जरूरत नहीं है । महीने, बीस दिन की तो मैं नहीं कह सकता पर जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो जायगा ।

श्री मानसिंह:—हम देखते हैं कि सरकार का "जल्दी से जल्दी" का वायदा कम से कम २० वर्ष में पूरा होता है । इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि इस "जल्दी से जल्दी" की परिभाषा क्या है; यह हमारी समझ में नहीं आया ।

श्री कानसिंह:—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की भी इसमें राय ली जायगी या नहीं ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—जहां पर हरिजनों की जानकारी की बातें होगी उनकी राय लेना जरूरी समझा जायगा और वह राय जरूर ली जायगी ।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या हरिजनों के सिवाय भी और किसी वर्ग की भी इसमें राय ली जायगी ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—ऐसी कौनसी जातियां हैं जो अपने को हरिजनों के समान समझती है ।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या गवर्नमेन्ट के पास इसका जवाब नहीं ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं इस प्रश्न को साफ समझा नहीं कि दूसरे वर्ग से क्या मतलब है और इसलिए जवाव देने में असमर्थ हूं ।

एक माननीय सदस्य:—जो यह बैकवर्ड क्लासेज की लिस्टें बनी हुई हैं उनमें हरिजन जातियों के अलावा भी कई जातियों की सिफारिशें की गई है । उन सारी जातियों में से किन २ को पहले बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

माननीय अध्यक्ष:—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—क्या माननीय पृथक् राजस्व मंत्री के ध्यान में यह है कि नहरी इलाका, गंगानगर, में पैदावार जरायत पर शरायत फरोख्तगी १९२४ के अनुसार कोई जकात लगाने का हक नहीं है फिर भी ऐसी पैदावार पर जकात लगाई जा रही है ?

माननीय श्री भोलानाथः—प्रश्न साफ नहीं मालूम पड़ता है। परन्तु देखने से पता लगता है कि सन् २४ के केनाल एरिया में जमीन बेचने की हिदायत के अनुसार वहां पर कोई कस्टम नहीं होती थी, जैसा कि जाहिर है। राजस्थान बनने के बाद सामान्य नियम कस्टम के बारे में बने। उसके आधार पर वहां पर टैक्स वसूल किया जा रहा है और आगे इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो गया है। अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो उसका सुधार किया जायगा।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या १९२४ के एक्ट के बारे में फैसला कर लिया गया है, या उसे वापस कर दिया है ?

माननीय श्री भोलानाथः—इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या गंगानगर के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां पर कि जकात लगाने का कायदा है ?

माननीय श्री भोलानाथः—मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना नहीं है।

एक सदस्यः—जितना रुपया अब तक टैक्स में ले लिया गया है क्या उसको सरकार वापस देने को तयार है।

माननीय श्री भोलानाथः—जो पिछले नियम हैं उनके अनुसार ही कार्य होगा।

एक सदस्यः—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि यह किन २ चीजों पर लागू हैं।

माननीय श्री भोलानाथः—खेती की पैदावार सरसों, अनाज आदि पर।

आय-व्ययक—प्रथम अवस्था

सामान्य वाद विवाद (जारी)

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, ३ दिन से यह बजट इस सदन के सामने विचाराधीन है। बजट एक देश का विस्तृत चित्र है। उसके देखने से यह पर्याप्त जानकारी हासिल हो जाती है कि सरकार तथा उस देश की जनता की क्या आर्थिक स्थिति है। इस चित्र को देखने से यह हमें स्पष्ट मालूम हो जाता है कि हमारा देश, हमारा राज्य एक अत्यन्त दरिद्र राज्य है। इस दरिद्र राज्य की हालत इसीसे, एक ही बात से स्पष्ट हो जाती है कि हमारे राज्य का कोष केवल

१६, १८ करोड़ है यद्यपि यहां का विस्तार तथा यहां की जनसंख्या डेढ़ करोड़ से कम नहीं। यह आपने भी विचार किया होगा, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कि जितना विवेचन इस समय इन तीन दिनों के लम्बे अर्से में हुआ है उनमें विशेषकर सरकार की कार्यवाही पर ही टीका टिप्पणी थी। मुझे खेद है कि इस बजट को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। बजट के आम वाद विवाद में यह दो ही आंकड़े रहते हैं, एक सरकार की रीति नीति का विचार और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण का विचार। आर्थिक दृष्टिकोण से देखना भी बजट को नितान्त आवश्यक हैं। मैं कुछ विशेष आंकड़े आपके सामने इस बजट के प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इससे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब हमारे विधान के अनुसार बजट विशेष रीति से बनाया जाता है और इसका प्रस्तुत करना भी विशेष नियम के अनुसार होता है। बजट के आंकड़ों को देखने से यह साफ मालूम होता है कि कुल बजट का खर्चा २७ करोड़ ६१ लाख २८ हजार है। इसमें २६ करोड़ कुछ हजार हमारे सदन के विचाराधीन है और एक करोड़ कुछ लाख का भार इस बजट पर है यानि इस राज्य की आमदनी पर है। इसको देखने से यह स्पष्ट है कि कर का कितना २ भार हमारी इस राज्य की जनता पर है। इस कर के भार के लिये मैं कुछ आमदनी का जरिया आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। वे आमदनी के जरिये ये हैं:–

लैंड रेवेन्यू करीब	...	३,७५,००,०००
जंगलात करीब	...	४६,००,०००
मोटर वेहिकल करीब	...	२६,००,०००
एक्साइज	...	३,००,००,०००
दूसरे टेक्सेज (जिसमें जकात भी शामिल है)		३,७५,००,०००

इन सब की जोड़ लगाई जावे तो करीब १२ करोड़ होते हैं। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति पर ८ रुपये प्रति वर्ष कर का भार हमारी जनता पर है। इस कर के भार को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारी है। फिर भी यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह मानलेना पड़ेगा कि ८ रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कर हमारे ऊपर जो है वह भारी दिखाई देता है। किन्तु इसका एक ही हल है कि हम अपने देश के उद्योग को बढ़ावें। उसके लिये हमारी गवर्नमेन्ट जो कुछ भी कर रही है उसकी मैं सराहना किये बिना नहीं रह सकता। हमारी सरकार ने इस वर्ष ७ करोड़ रुपया कैपिटल वर्क्स पर खर्च करने के लिये रखे हैं; जिसमें बिजली, सिंचाई आदि को बढ़ाना है। जब तक हमारे यहां बिजली पैदा नहीं की जावेगी तब तक कल कारखाने नहीं बढ़ेंगे; तब तक हमारी आर्थिक दशा ठीक नहीं हो सकेगी। इसके अलावा सिंचाई के लिए नहरें आदि बहुत जरूरी हैं। क्यों कि हमारा मुल्क सूखा है और इसके लिये जब तक पूरा प्रबन्ध नही किया जावेगा तब तक हम कोई अनाज उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। ७ करोड़ का खर्चा इस परिस्थिति में काफी सराहनीय है।

अब मैं आपके सामने कुछ विशेष खर्चे संबन्धी रकमों के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि ८ मुख्य खर्चे हैं यानी खर्चे के ८ मुख्य अंग कहे जा सकते हैं। इसमें लेंड रेवेन्यू पर ९८ लाख, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर पौने दो करोड़, पुलिस पर दो करोड़ ८० लाख शिक्षा पर २ करोड़ ५० लाख माइन्स पर एक करोड़ साढ़े सात लाख, साइन्टीफिक डिपार्टमेंट्स पर १२ लाख ६८ हजार, एलेक्ट्रिक पर एक करोड़ ५ लाख और सबसे अंतिम और मुख्य जो इस समय हमारे सामने परिस्थिति प्रस्तुत है वह है फैमिन। इस पर एक करोड़ १५ लाख रुपया खर्च करने का प्रबन्ध है। इस तरह करीब १२ करोड़ का खर्च है। साढ़े ६ करोड़ केपिटल वर्क में खर्च किये जा रहे हैं। इस तरह १८॥ करोड़ का मुख्य खर्चा है और बाकी ७-८ करोड़ छोटी छोटी बहुत जरूरी बातों पर खर्च किया जावे। इससे हम अटकल लगा सकते हैं कि मुख्य बात में कितने विषय ऐसे हैं जिसको नेशन्स बिल्डिग डिपार्टमेन्ट कहा जा सकता है। यह है साइन्टीफिक डिपार्टमेन्ट आदि जिन पर १२॥। लाख का खर्चा करने का विचार है। शिक्षा पर २॥ करोड़, पब्लिक वर्क्स पर ४४ लाख ४५ हजार, एग्रिकल्चर पर १७ लाख ५५ हजार ए. आर. डी. सोसाइटीज आदि पर १२ लाख कुछ हजार, पशु चिकित्सा पर १२ लाख ७० हजार। कोओपरेटिव पर ६ लाख ७ हजार। इन्डस्ट्रीज एन्ड सप्लाईज पर १५ लाख। इस प्रकार हम करीब करीब ५ करोड़ नेशन बिल्डिग में खर्च कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि बजट में विशेष त्रुटि है। समाज की उन्नति के लिये कोई रकम नहीं रखी। दो तीन बातें और भी हैं जो हल के विषय हैं। फैमिन रिलीफ के लिये काफी फंड इकट्ठा किया वह सब खर्च हो गया। इसके अलावा २० लाख रुपया रीलीफ पर खर्च किया जावेगा। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और केवल इन विशेष आंकड़ों पर समय खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अर्ज करना चाहता हूं कि कई ऐसे आंकड़े होंगे जिन पर सरकार की तवज्जो अवश्य होगी और उनमें शीघ्रातिशिघ्र सुधार किया जावेगा। बहुत सी ऐसी घटनाओं का विवेचन किया गया है जिसमें कहां गया है कि जी.ए.डी. में विशेष बात की कमी है और दूसरे विभाग में दूसरे प्रकार की कमी है। इस सम्बन्ध में मैं पूरे तौर से आशा करता हूं कि सरकार इन पर ध्यान देगी और इस सभा के दूसरे अधिवेशन के आने से पहले बहुत सी बातों का अंत कर देगी।

श्री मोतीलालः– माननीय अध्यक्ष, बजट के बारे में आज तीन दिनों से बहस हो रही है। इसे देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बजट की अन्य जगह के बजट की कोपी की गई है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसका बजट यहां की हालत को देखते हुए होना चाहिये। मगर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ विदेश में जैसा बजट होता है उसी ढंग से उसकी नकल की गई है। यहां के प्रान्त की जरूरतों के माफिक कुछ नहीं किया गया है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं; यहां पब्लिक हेल्थ में एपिडेमिक बीमारियों को देखते हैं जिन पर लाखों रुपया लगाया जाता है; तो हमको मालूम होगा कि हमारे यहां मलेरिया को एपिडेमिक बीमारी माना है। राजस्थान में एपिडेमिक बीमारी मलेरिया नहीं है। यदि हमारा दिमाग होता तो उसकी कोपी नहीं करते। हमारे यहां राजस्थान में एपिडेमिक बीमारियें हैं नेहरू, जिसको बाला भी कहते हैं। दूसरी बीमारी है नासूर; मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार एग्रिकल्चर के सबन्ध में भी मैं यह कहूंगा कि हमारे बजट में दूसरी जगह से कापी की गई है। जिस प्रकार यू०पी०और बिहार में एग्रिकल्चर का जैसा बजट रखा जाता है उसी प्रकार हमारे यहां भी रखा गया है। हमारे यहां रेगिस्तान है। इस के लिये यहां क्या रखा गया है ? यहां पर हम जैसलमेर आदि के रेगिस्तान में क्या साधन करेंगे; यह नहीं बताया गया है। इसका खास कारण यह है कि राजस्थान में यू०पी० और बिहार के बड़े बड़े ओफिसर एग्रिकल्चर विभाग में रखे गये हैं। यदि राजस्थान के ओफिसर रहते, जो यहां के हालात को जानते होते, तो ज्यादा अच्छा था। जब हम देखते हैं कि एग्रिकल्चर के लिए यह कहा जाता है कि ट्रेक्टरों से खेती की जावे। मगर जिस समय सरकार खुद खेती दिखावे के लिये करती है तो उसमें घाटा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि जब हम लोगों को उदाहरण के तौर पर यह कहते हैं कि ट्रेक्टरों से खेती करने से ज्यादा लाभ होगा और खुद जब करते हैं तो हमें फिर घाटा क्यों होता है ? यह तो नहीं होना चाहिये। मगर इसका कारण यह है कि हमारे यहां की परिस्थिति से अफसर वाकिबकार नहीं है इसीलिये यह घाटा होता है।

इसके अलावा अब आप वन महोत्सव विभाग को ही लीजिये। वास्तव में जंगल बढ़ाना है मगर यह सब पेपर में रहते हैं। हमारे यहां के राजप्रमुख और मिनिस्टर एक दो पेड़ लगा देते हैं और अखबारों में आ जाता है। मगर दर असल में हमारे यहां गांव वालों को कुछ भी मालूम नहीं कि यह वन महोत्सव नामका भी कोई विभाग है। इससे यह साफ जाहिर है कि हमारे यहां बजट जो बना है वह सिर्फ बाहर के बजट की कोपी की गई है और हमारे यहां की परिस्थितियों का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिये बजट राजस्थान के दृष्टिकोण से बनना चाहिये था।

इसके अलावा बजट में घाटा है इस संबन्ध में चर्चा हुई है। मगर जब हम ट्रान्सपोर्ट और शिक्षा आदि की तरफ देखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि शिक्षा पर जितना ज्यादा रुपया लगाया जाए थोड़ा है क्योंकि १०-१५ साल में जाकर कहीं लोग शिक्षित होते हैं।

(माननीय अध्यक्ष ने समय-समाप्ति की सूचना दी।)

श्री मोतीलाल:- मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं।

सड़कों के लिये रकम लगाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि शिक्षा के लिये। सड़कें तो हमारे पास जो पैसा होगा तो एक साल में बन सकती हैं मगर लोग एक साल में शिक्षित नहीं बन सकते। मैं यह कहूंगा कि गांवों में प्राइमरी स्कूलें तक नहीं है और जहां कहीं है भी तो वहां मकान नहीं है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि शिक्षा का प्रसार करें और उसके लिये यदि आप १०-२० लाख रुपया और भी लगाएं तो कोई एतराज की बात नहीं। हमें प्राइमरी स्कूलें बढ़ाने के लिये आगे बढ़ना चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट भाषण हिन्दी में पढ़ा उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता

हूं। उन्होंने हिन्दी का प्रयोग किया है अपने बजट के भाषण में। इस बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा धन खर्च हुआ है पब्लिक सरविस कमीशन में इन्टरव्यू आदि बातों में हुआ है। इससे हुआ क्या है कि जो व्यक्ति योग्य थे वो सेक्रेटेरिएट में नहीं आसके हैं, अयोग्य व्यक्तियों को यहां चान्स मिल गया है। इस की वजह से हम सेक्रेटेरिएट में जो भी अर्जियां आदि देते हैं उनका पता तक नहीं लगता। एक आदमी दूसरे के पास जाने के लिए कहता है, दूसरा तीसरे के पास। इस तरह से सारा दिन व्यतीत होजाता है। काम कुछ नहीं हो पाता। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो राज्य के पत्र आवें वे आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर में दर्ज कर लिये जायं और उनका उसी दिन जवाब दिया जाय। उस पर फाइल का नम्बर भी दे दिया जाय। इससे जो भी व्यक्ति वहां आयेंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी; कार्य जल्दी से पूरा हो जायगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैंने जयपुर कई पत्र भेजे। वे रजिस्टर में दर्ज हैं लेकिन उनका एक का भी जवाब नहीं मिला। यहां तक कि तार का भी जवाब नहीं दिया जाता है इसलिये सर्विस कमिशन इन्टरव्यू आदि में जो राज्य का पैसा खर्च हो रहा है वह फिजूल है। उससे जनता को कोई फायदा नहीं होता। इसतरह करोड़ों–लाखों रुपया नष्ट क्यों किया जाता है? इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस बात को ठीक किया जाय।

इसके बाद में आपकी सेवा में सिंचाई के मुतलिक कुछ कहना चाहता हूं १९.३८ लाख का खर्चा इसके लिए बजट में बताया गया है। उन सबको देखने से मालूम होता है कि जो योजनायें पांच साल की हैं वे सभी पांच साल में पूरी होंगी। पांच साल में खत्म होने वाली है। इस साल में खत्म होने वाले जितने भी बांध या नहरें हैं उनसे हमें यह फायदा होसकेगा कि इस साल फसल हो जायगी। पांच साल की योजना से अधिक हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि हम ऐसी योजनायें बनायें जिससे सालो साल हमें फायदा मिल सके। ऐसी योजनाओं से क्या फायदा हमें ऐसा काम करना चाहिये उसके लिए जिसकी कल जरूरत है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसमें पानी के बंध हैं जिसके तहत लाखों मन अनाज पैदा किया जासकता है। पोकराय का बंन्ध है उसके लिए कोई बजट में रुपया शामिल नहीं किया गया। दो तीन बंध ऐसे हैं जो बने तो हुए हैं लेकिन कुछ टूट फूट होने के कारण बेकार हैं। उनकी मरम्मत के लिए भी कोई रुपया नहीं रखा गया इस से लाखों मन अनाज पैदा हो सकता है।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में जिस बात का जिक्र किया गया है वह है डीप वेल के बारे में। आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि डीप वेल हमारे राजस्थान में करीब डेढ़साल से अन्डर ग्राउन्ड वाटर स्कीम के तहत खुद रहे हैं; जिसके लिए हमारी सरकार काफी खर्च कर रही है। लेकिन अब तक इसका परिणाम यह हुआ है कि राजस्थान में जितनी भी जगह पानी निकालने का काम किया गया है वह पानी में पानी ही निकालने तक सीमित रहा है; बालू से पानी निकालने का कभी प्रयास ही नहीं किया। बाण गंगा में डीप वेल का बोरिंग किया गया, डेढसो फुट जमीन खोदी गयी लेकिन पानी न निकलनेसे वह काम छोड़ दिया गया। लाखों रुपया खर्च हुआ उसका नतीजा कुछ नहीं। इसी तरह लूणी नदी पर

इस तरह का बोरिंग किया गया लेकिन वहां भी नाकामयाबी रही । इस तरह से हमारा लाखों रुपया बरबाद होगया । किसी काम का नहीं रहा यह रुपया । उन्होंने हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि हमने राजस्थान के अन्दर समुद्र पालिया है; अनाप शनाप पानी निकल रहा है। ये सब-झूठी बातें हैं। मेरा एक कुआ है, उससे पाइप से पानी निकाला गया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी निकलता है। इसतरह पानी न निकलता है और डींगे मारी जाती हैं इस तरह से झूठी अफवाहें न फैलाई जाय तो हमारा काम ठीक होसकता है।

ऐसी मेरी धारणा है कि इलेक्ट्रिक पावर लगाकर हरेक कुए पर इलेक्ट्रिक से पानी निकाल कर खेतों को पिलाया जाय तो काफी पैदावार बढ़ सकती है। धान की जो मुसीबत है, वह दूर होसकती है । पांच वर्ष के प्रोग्राम से उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। इस तरह से इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अब दूसरी योजनाओं के अन्दर यदि इलेक्ट्रिक पावर हाउस जगह जगह खोले जाते और इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिये यदि खेती की जाती तो लाखों मन धान आसानी से पैदा होता और आज जो अनाज की दिक्कत है वह नहीं रहती । हमारे यहां बहुत कुछ कहा जाता है कि किसानों को सहूलियतें दी जायेंगी; लेकिन न तो किसानों को दैनिक आवश्यकताओं की चीजें, जैसे लोहा शक्कर आदि आसानी से मिलती ही हैं और न कुछ उनके लिये किया ही जाता है । किसानों के लिये बिजली की कोई सुविधा नहीं है । यदि एक दो जगह बिजली की सुविधा है तो उनसे साढे तीन, पौने चार आने युनिट के हिसाब से बिजली का खर्चा लिया जाता है । काश्तकारों से ली जाने वाली बिजली की दर एक आना युनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिये जैसा की अहमदाबाद, बम्बई आदि में है । यहां इसके लिये कोई तवज्जह नहीं दी गई है। तकावी के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे यहां किसानों को जो तकावी दी जाती है उससे किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है क्योंकि हमारे यहां के किसान अनपढ़ हैं, वे दरख्वास्त नहीं लिख सकते। यदि किसी से लिखाते हैं तो फिर उनको जमानत दिलवानी पड़ती है और ऐसी जमानत आसानी से नहीं मिलती । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि यदि किसी का कूआ टूट गया है और उसे बनवाने के लिये उसने ७००) रु० की तकावी मांगी तो उसे २००) रु० मिलते हैं जिनसे उसके कूए की पूरी मरम्मत भी नहीं हो सकती और वह किसान सरकार का कर्जदार अलग बना हुआ रहता है। इसलिये सरकार को पहले जांच कर लेनी चाहिये कि वाकई उस किसान को इतने रुपयों की जरूरत है और फिर उसको जरूरत माफिक तकावी दी जाय तो उसको फायदा हो सकता है; नहीं तो कोई फायदा नहीं होता । हमारे यहां यह कहा जाता है कि मशीनरी से खेती करने से फायदा होता है। लेकिन सरकार ने ट्रेक्टरों का कोई इन्तजाम नहीं किया है। आजकल एक ट्रेक्टर की कीमत १४-१५ हजार रुपयों से कम नहीं होती। राजस्थान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो चौदह-पन्द्रह हजार रुपये खर्च कर सकें । इसलिये हमारे यहां पर ट्रेक्टरों से खेती करने वालों पर टैक्स

लगाया जायगा । यह गलत चीज है । मशीन से खेती करने को प्रोत्साहन दिया जाता है । यदि उन पर टैक्स लगायेंगे तो बहुत मुसीबत हो जायगी और मशीनरी से कोई भी खेती नहीं करेगा । इसलिये खेती को प्रोत्साहन देने के लिये किसी तरह के टैक्स की बात नहीं होनी चाहिये ।

लेवी के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि लेवी की रेट व हिसाब किताब को ध्यान में रखकर लेवी ली जानी चाहिये । अब जब कि बाजार में सब चीजें इफरात से मिलती हैं तो अगर कंट्रोल को हटा दिया जाय और सप्लाई डिपार्टमेंन्ट को हटा दिया जाय तो किसानों को हर चीज की तकलीफ मिट जायगी और उनके बीच में दूसरी कोई एजेन्सी नहीं रहेगी तो इससे उनकी दिक्कत दूर हो सकती है । अब कन्ट्रोल की चीजें सीमेंट वगैरह मिलने लग गई हैं । नमक के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है । इसके बारे में मुझे यही अर्ज करना है कि नमक बेचने का अधिकार उसी ठेकेदार को दिया जाय जो सिलसिले से सब को बेच सके । यह बाजार में दस आना, आठ आना मन का कमीशन नहीं कमावें और एक रुपये का एक मन या एक रुपये का सवा मन, जो भी भाव हो, उससे बेचे ।

दूसरी बात यह है कि हमारे राजस्थान से हड्डियें बाहर जाती हैं । उन्हें बाहर जाने से रोकना चाहिये । यदि वे बाहर जायेंगी तो खेती में हानि होगी क्योंकि हड्डियों से खेती में बहुत ज्यादा फायदा होता है । इसलिये इन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिये । कृषि कर के बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि कृषि कर तब लगावें जब कि हमारे गरीब भाइयों के लिये तीन चीजों का पूरा पूरा इन्तजाम कर दें । वे तीन चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान । इनका माकूल इन्तजाम करने के बाद आप यह कर लगा सकते हैं । जब कि खाने के लिये रोटी नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं और रहने के लिये घर नहीं तो ऐसी हालत में किसी किस्म का कर लगाने की बात नहीं करनी चाहिये ।

एग्रिकल्चर की उन्नति के लिये एग्रिकल्चरल लेबोरेटरीज का इन्तजाम होना चाहिये । इसके बारे में कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ और यदि कभी हुआ भी है तो न जाने वह किस खड्डे में गिर गया ?

इसके बाद मैं आप से अर्ज करूंगा कि हमारे गांव में कपड़े की कितनी दिक्कत रहती है । गांवों में जाकर यदि आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वहां के लोग चिथड़े पहने घूमते हैं । राजस्थान में कई बड़ी बड़ी कपड़े की मीलें होते हुए भी सारा कपड़ा बाहर जाता है और वह हमारे यहां के ग्रामीणों के पास नहीं पहुंचता । कपड़े की कीमत भी बहुत अधिक बढ़ गई है । जो लट्ठा तीन आना गज मिलता था उसकी कीमत आज दो रुपया तीन आना गज हो गई है । उसकी रेट वापिस ठीक करदी जाय तो बड़ी सुविधा हो । नई मीलों के निर्माण के लिये बजट में कोई गुंजायश नहीं है और न कोई नये उद्योग धंधे खोले गए हैं । ग्रामीण उद्योग धन्धों के बारे में मेरा कहना है कि सूत आदि की व्यवस्था करदी जाय तो और लोगों को डाइरेक्ट मिलने लग जाय; तो यह भी काम पूरा हो सकता है ।

सड़कों के बारे में मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में कई बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और बहुत सी सड़कें बन भी गई हैं। मेरा यह कहना है कि सड़कों के बजाय रिवर बेड्ज़ को ठीक किया जाय तो अच्छा रहे । बरसात में रिवर बेड्ज़ ठीक नहीं होने से पानी फालतू बह जाता है और नुकसान होता है । इसलिये रिवर बेड्स को पहले ठीक कराना बहुत जरूरी है ।

इसके बाद बस सरविस के ठेके के बारे में मुझे यह कहना है कि यदि गवर्नमेन्ट ने कान्ट्रेक्ट बन्द कर दिये हैं और मोनोपोली नहीं रखी है तो अच्छा है। लेकिन जो परमिट दिये जाते हैं वे ठीक ढंग से नहीं दिये जाते । उन आदमियों को भी परमिट दे दिये हैं जिनके पास मोटरें कतई नही हैं । ऐसा भी कहा जाता है कि परमिट उनको दिये जावेंगे जो कांग्रेस का काम करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए । परमिट एक साथ दो का देना चाहिए क्यों कि जब एक बस जाती है और रास्ते में खराब हो जाती है तो उसको लाने के लिए दूसरी बस जाती है; तो इस तरह से बड़ी दिक्कत हो जाती है; एक ही परमिट देने में । इसलिये एक आदमी को कम से कम दो परमिट तो जरूर ही मिलने चाहिए ।

(माननीय अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री धर्मपालसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर दो शब्द कहने के पूर्व श्रीमान् अध्यक्षजी के द्वारा कुछ सदन के सदस्यों से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के पश्चात निरंतर इस सदन म इस बात को देख रहा हूं कि हमारे सामने के कुछ मित्र हमारे इस विरोधी दल को कुछ प्रतिक्रियावादी आदि २ कई प्रकार के शब्दों से संकेत कर रहे हैं। मैं मेरे मित्रों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी यह जो भावना है यह ठीक नहीं है। हमारे और आपके सम्बन्ध पहले चाहे कितने ही, किसी तरह के रहे हों परन्तु इस हाउस के अन्दर हमको कन्धे से कन्धे मिलाकर काम करना चाहिए। यह हाउस जिसमें कि हम लोग उपस्थित हैं, यदि हमने इसी प्रकार से सारा समय नष्ट किया तो हम लोग जनता के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो दुर्भावना है वह हमारे और आपके दिल से कतई निकल जानी चाहिए। वह चुनाव का समय था जब हम एक दूसरे पर कई तरह के आक्षेप करते थे परन्तु अब ऐसा करना आपस में ठीक नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष:—माननीय सदस्य बजट पर बोलेंगे ।

श्री धर्मपालसिंह:—ठीक है। मैं कुछ निवेदन और करना चाहता था पर माननीय अध्यक्षजी ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार में अर्ज करूंगा। मैंने इस बजट को अच्छी तरह से तो नहीं देखा परन्तु इस बजट के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्रीयुत् गोपीलालजी यादव ने जो कुछ भी कहा है कि यह प्लस बजट घाटे का नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह एक पहला बजट है जो कि राजस्थान धारा सभा के प्रतिनिधियों के सामने श्रीमान वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है। पिछले ४

साल से कुशासन के पश्चात हम लोग यह आशा करते थे कि इस बजट के अन्दर कुछ न कुछ इस प्रकार की सुव्यवस्था होगी जिसे हम लोग जाकर जनता से कह सके। परन्तु में इस बात को देख रहा हूं कि इस बजट के अन्दर देहाती जनता के हित के लिए कोई भी चीज नही है। मैं आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर जिससे कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को लगभग वार्षिक एक करोड़ की आय होती है, उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर उस जिले का किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं रखा गया है और उसी तरह से सब-डिवीजन करोली के लिए तो मैं यह कहूंगा कि वह बिल्कुल ही कटओफ कर दिया गया है। हमारी करोली जो कि पहले एक छोटी सी स्टेट के रूप में थी। मत्स्य में विलिनीकरण के पश्चात हम लोग यह सोचते थे कि शासन की ओर से वहां की जनता के लिए कुछ न कुछ किया जायगा। परन्तु हमें खेद है कि न तो मत्स्य सरकार ने इसके लिए कुछ किया और न शास्त्री सरकार ने और न व्यास सरकार ने ही हमारी करोली के लिए कुछ किया। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी करोली के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किया गया है। साथ ही मैं आपको यह भी बताने की चेष्टा करूंगा कि हमारे यहां इस वर्ष बरसात की कमी रही। पहले जब कि हमारे यहां पर बरसात नहीं होती थी तो राज्य की ओर से किसानों के लिए तकाबी दी जाती थी। इस साल हमारे यहां करनपुरा सब-तहसील में ६ ऐसे गांव हैं जहां कि एक दाना भी अन्न का नहीं हुआ और वहां के किसानों को शासन की ओर से तंग किया गया है और उनसे जबरदस्ती लगान लेने के लिए कोशिश की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं श्रीमानजी के द्वारा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है; इसे रोकना तुरंत ही आवश्यक है। अभी चुनावों के टाइम में सरकार की ओर से इस बात का ऐलान किया गया था कि किसानों के लिए तकावी दी जायगी और सैकडों किसानों को इससे फायदा होगा, परन्तु किसी को एक पैसे की भी तकाबी नहीं दी गई। ऐसे बहुत से किसान वहां मौजूद हैं जिनके लिए तकाबी देना परम आवश्यक है परन्तु वह किसी को नहीं दी गई। यह एक महज वोट प्राप्त करने के लिए उस समय प्रोपेगन्डा किया गया था। अगर ऐसा अर्थ नहीं था तो तकाबी क्यों नहीं दी गई?

अब मैं श्रीमान्, आपके द्वारा, सदन का ध्यान एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि कालीसिल प्रोजेक्ट के लिए इस वर्ष एक पैसे की भी रकम मंजूर नहीं है। मुझे यह देखकर बडा ही आश्चर्य हुआ की करीबन तीन माह से शासन की ओर से डाई लाख रुपया इस कालीसिल प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है। मैं जहां का रहने वाला हूं यह डेम उस स्थान से कुछ ही दूरी पर है। इसलिये मैंने उसे जाकर भी देखा है। तो मैं शासन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर कभी कालीसिल प्रोजेक्ट की ओर इस बजट में कुछ नहीं रक्खा गया तो वह ढाई लाख की मिट्टी बहकर बरसात में बर्बाद हो जायगी। मैं इस बात को किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नही हूं कि यदि यह काम बन्द किया गया तो शासन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए वहां पाथ पर पड़ी हुई मिट्टी को बहने से रोकने के लिए इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो वह सारी मिट्टी बह जायगी, इससे सरकार को काफी नुकसान होगा। मैं

प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां के लिए मामचारी डेम के लिये बजट में जो रकम रखी गई है उसके बजाय वह रकम यहां पर व्यय कर दी जाय तो ठीक होगा । इसके अलावा कालीसिल प्रोजेक्ट जहां पर की मिट्टी का काम किया जा रहा है उसमें ऐसे सैकडों किसान के खेतों की सैकडों बीघा जमीन की मिट्टी पाल के काम में ली गई है ऐसे कई किसान हैं जिनके पास केवल एक ही खेत था परन्तु उनके लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनको उसके बदले में मुआवजा मिल सके । इस सम्बन्ध में मैंने एक बार तहसीलदार साहब सपोटरा से पूछा, कलक्टर साहब से पूछा परन्तु उनके पास भी इस सम्बन्ध में अभी कुछ इत्तला नहीं है कि सरकार कम्पेन्सेशन के लिए क्या कर रही है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार जल्दी ही कम्पेन्सेशन आफीसर की व्यवस्था करे जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके ।

(अध्यक्ष महोदय ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री धर्मपालसिंह:—श्री अध्यक्षजी मेरी एक प्रार्थना है। मुझे ५ मिनट और दिया जाय, जिससे मैं करोली के सम्बन्ध में कुछ और निवेदन कर सकूं।

माननीय अध्यक्ष:—दो मिनट बोल लीजिए।

श्री धर्मपालसिंह:—मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारी करोली में पिछले शासन में कुछ रकम सड़कों पर व्यय के लिए रखी गई थी परन्तु इस ४ साल के अन्दर उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और इसका फल यह हुआ कि उनका सोलिंग तक उखडता जा रहा है और उसका परिणाम यह भी हुआ कि लाखों रुपया लेप्स हो गया। हमारे करौली से मंडरायल रोड पर एक घाटी है जहां तक कि मोटर सर्विस करोली से जाती है। वह घाटी भी बहुत खराब हो गई है उसमें तीन मोड़ हैं। उनको चौडा कर दिया जावे तो मोटर सरविस मंडरायल तक पहुंच सकती है और जनता का बहुत कष्ट निवारण हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि करीब १५००) रुपयों में वह तीनों मोड़ ठीक हो जावेंगे। नई सड़कों का बनाना तो दरकार रहा परन्तु पुरानी सड़कों की मरम्मत तो होना बहुत आवश्यक है। यदि यह नहीं हुआ तो सड़कों पर लगा हुआ पिछली सरकार का रुपया योंही बेकार चला जावेगा और सड़कें सब खराब हो जावेगी।

अब मैं कुछ डिस्पेन्सरीज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व मेरे साथी राजकुमार बृजेन्द्रपालसिहजी ने भी इसके लिए कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पहले करौली होस्पिटल में हर प्रकार के आलात मौजूद थे और लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिये करौली आया करते थे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जयपुर तक से भी लोग अपना इलाज कराने के लिये करौली आया करते थे। मगर राजस्थान बनने के बाद इस होस्पिटल को जिस प्रकार बरबाद किया गया है; यह एक दुख की बात है। वहां पर पहले चीफ मेडिकल ओफिसर रहा करता था उसको भी अब वहां से अलग कर दिया गया

है। वहां पर एक साधारण डाक्टर रख दिया गया है और वहां पर जो आलात थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि खास करौली शहर के अलावा करौली डिविजन में डेढ़ लाख जनता और है। इतनी बडी जनता के बीच में एक ही जगह सपोटरा में ही डाक्टर नियुक्त है। पहले करौली की हकूमत में चार जगह डाक्टर थे; १. सपोटरा, २. मंडरायल, ३. मासलपुर, ४. करनपुर। मंडरायल, मासलपुर में सिर्फ कम्पाउन्डर रखे गये हैं, करनपुर में तो कोई नहीं रखा गया है। क्या वहां कि जनता के लिये चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है क्या इससे यह न समझा जावे कि करौली की जनता को पशु की तरह समझी जा रही ह? क्या वहां पर कोई आदमी नहीं रहते? क्या वहां के लिये डाक्टर का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है? सपोटरा की भी हालत यही है। अस्पताल, थाना की इमारत अधूरी बगैर छत के पड़ी है। बठने को स्थान नहीं। उनकी भी अच्छी हालत नहीं और यही हालत वहां स्कूलों की इमारत भी है। चूंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे दो मिनट और दिये थे और वे समाप्त हो गये अतः मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

एक सदस्यः—नाम भी बताये जायें तो उचित होगा। क्यों कि नोट....

माननीय अध्यक्षः—नेम्स नोट करने की जरूरत नहीं। सारे नाम मेरे पास हैं।

मननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-- माननीय अध्यक्ष, चार दिन की बहस के बाद इस बजट पर बहस शुरू करने से पहले मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता ने मेरे प्रति जो शिकायत की है कि मेरा भाषण इमोशनल है। इस सम्बन्ध में इसलिये मैं थोड़ा थोडा संक्षेप में अलग अलग पोइन्ट पर कुछ निवेदन करके अर्ज करता हूं। यह निसन्देह सही है कि हमारा यह बजट पूर्णतया संतोष-प्रद नहीं ह। इस बात को मानने में मुझे या सरकार को भी पूरे तौर पर संकोच नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिन स्थितियों में यह बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसकी ओर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से इस परिणाम पर आना होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में इससे अधिक अच्छा बजट उपस्थित किया नहीं जा सकता था। जितना संभव था अच्छे से अच्छे ढंग से अपना लेखा जो हिसाब करने का है, उसको उपस्थित किया गया। मैं मानता हूं कि हमारे शासन में व इस लेखे—जोखे में जैसा कि यहां है कई प्रकार की त्रुटियें हैं। शासन के ढीलेपन के बारे में सदन के कई लोगों ने शिकायत की गई। मैं मना नहीं करता, इस बात को मैं स्वयं इस बात का अनुभव करता हूं और मैं सदन को आम तौर से यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस स्थिति के बारे में जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है उससे कम सरकार को नहीं है और वे इस बात के लिये दृढ़ हैं कि थोड़े से थोडे समय में शासन की स्थिति को सुधारा जाय। भिन्न भिन्न सदस्यों ने कई एक विभाग के काम काज की त्रुटियें बतलाई। जैसा कि माननीय श्री राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार इस प्रकार की वाजिब आलोचना का स्वागत करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कई एक माननीय मित्रों ने वाजिब आलोचना की है और आवश्यक बातों की और सरकार का ध्यान दिलाया है; मैं उनका सरकार

की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में सुधार करने के निश्चित प्रयास किये जावेंगे और आशा है फल ठीक होगा। (चीअर्स)।

परन्तु अध्यक्ष महोदय, मेरे एक साथी विरोधी दल के नेता से, जो पहले हमारे साथ थे और अब यहां पर हैं, निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी ओर से शासन की खामियों का मानने के लिये तैयार है और उनके सुधार करने के प्रयत्न का वादा आप लोगों के सामने करती है; किन्तु हमें यह खेद है. यह सुनकर, यह देखकर कि कई एक आलोचनायें केवल आलोचनाओं के लिए की गईं और उनको यदि भली प्रकार देखा जाय तो मालूम होगा कि उनमें कोई भी तथ्य नहीं। जिस वृत्ति से आलोचना की गयी वह वृत्ति विरोधी दल के नेता की तरफ से की गई है। उनके शब्दों को दोहराना चाहता हूं। एक दो बातों में यह प्रगट हुआ कि यह सब काम सरकार का है। मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता हैं तब भी हम सब की सारे सदन की जिम्मेदारी है, सरकार को भलीभांति चलाने की और सरकार को मदद करने की। यह कहने से काम नहीं चल सकता कि अमुक काम की जिम्मेदार तो सरकार है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि पिछले दिनों में राजस्थान बनने के बाद हमने नये नये कर लगाये। मुझे आश्चर्य हो रहा है कौन से वे. अनेक नये टेक्स हैं ? मेरे माननीय मित्र ने बतलाया नहीं। मैंने जानने की कोशिश की कि हमने कौन से नये टेक्सों की प्रयोजना की हैं। एग्रिकलचर इन्कम टेक्स की जो आलोचना की गई वह बहुत गलत ढंग से की गई है। कहा गया था कि यह टेक्स का बोझा गरीब किसानों पर पड़ेगा। मैं नम्रता से यह कह सकता हूं कि इस प्रकार की आलोचना करने वाले मित्रों ने इस कानून को पढें बिना इसकी आलोचना करनी शुरू करदी। अगर उन्होंने पढ़ कर आलोचना की तो क्षमा कीजिये, वह आलोचना नेकनीयति की आलोचना नहीं थी। यदि वे देखते तो उनको पता लगता कि १० हजार की निश्चित आय वाले लोग चाहे वे किसान हो या जागीरदार छोड़ दिये गये हैं। गरीब किसानों पर बोझ पड़ेगा, यह प्रश्न उठता ही नहीं। लेकिन ऐसा लगता है जब से चुनाव होने लगे उस चुनाव होने के बाद से किसानों के कुछ नये हितेषी खड़े हो गये हैं। बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला भटका यदि सांझ को भी घर आजाय तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन है कि आखिरकार जो तथ्य हैं उनको सही रूप में रखने की कोशिश की जानी चाहिये। तोड़ मरोड़ कर रखना कहां तक वाजिब है ?

मैं समझता हूं कि अनेक टेक्सों की बातें की जाती है। इसमें सच्चाई नहीं है यह जरूर हुआ है कि एक्साइज़ और कस्टम्स आदि के बारे में ऐसा हुआ है। भिन्न भिन्न रियासतों में अलग अलग दरें थी। कस्टम आदि की दरें अलग अलग थी। और राजस्थान बनने के बाद यह संभव नहीं था कि हरएक यूनिट में अलग अलग रेट चलती रहती इसलिये उनका एकीकरण किया गया। इस एकीकरण में कहीं पर किसी एक चीज में कम तो दूसरी चीज में थोड़ा टेक्स बढाया गया। कुल मिलाकर टेक्सेशन का बोझा बढ़ा है; ऐसा मैं मानता हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—वाट फॉर इन्कम टेक्स ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र एक योग्य वकील हैं; फिर भी यह प्रश्न इस सदन में करते हैं। इन्कम टेक्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट, द्वारा लगाया गया हैं; यह इस सदन का विषय नहीं । वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का विषय है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार हैं हमको इस पर बहस करने से कोई लाभ नहीं निकल सकता। वह भी शायद लोगों ने नहीं दिया।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—हम लोगों ने तो दे दिया है, शायद आपको देने का मौका नहीं आया हो ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसका बोझ गरीब लोगों पर नहीं । जो इसकी शिकायत कर रहे हैं, वे गरीब लोग नहीं । इस तरह से गरीबों का नाम लेकर के, वे गरीबों के प्रतिनिधि बन कर, गरीबों को भड़का नहीं सकते । उन्हें ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिये। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि टेक्स ज्यादा लगा दिये गये हैं; यह विरोधी दल के नेता का गलत ख्याल है। उनको यह नहीं कहना चाहिये। बिना टेक्स लगाये सरकार का कैसे काम चल सकता है; यह जिम्मेदारी की बात नहीं। हमारा काम आलोचना करना ही है; सरकार का काम चले या नहीं चले। यह जो माननीय मित्र ने बात कही है, वह ठीक नहीं है । यदि उनके द्वारा यह बात न कही जाकर किसी नौसिखिये सरदार द्वारा ऐसी बात कही जाती तो समझ में आ सकता था। मेरे माननीय मित्र अनुभवी शासक हैं; विधान के एक अच्छे ज्ञाता हैं और साथ में विरोधी दल के नेता भी हैं; जिम्मेदार व्यक्ति हैं । वे ऐसा नहीं कह सकते। बिना टेक्स के सरकार का काम कैसे चले, हम सरकार में नहीं तो क्या हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं । हमारा काम तो आलोचना करने का ही है । यह बात नहीं सोचनी चाहिये । इसलिये मेरा यह कहना है कि जो आलोचना की गई है। उसमें जिम्मेदारी की भावना कम दिखाई गई है। आलोचना आलोचना के लिए नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त एक बात है । मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पहले भी शिकायत की गई कि मैंने राजप्रमुख के भाषण पर जो वक्तव्य दिया वह इमोशन (भावावेश) से भरा था। मैं कोशिश करूंगा आपको किसी प्रकार की शिकायत न रहे । मुझे आश्चर्य हुआ जब कि मेरे एक माननीय मित्र ने बचत का सीगा बताया। उन्होंने कहा कि एक्स्पेन्डिचर (खर्चे) में बचत हो सकती है यदि महात्मा गांधी के बताये हुए मार्ग पर मिनिस्टरों का वेतन ५००) रुपये रख दिये जायं। बात ठीक हो सकती है सोचने लायक हो सकती है । मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह बातें किसी और सदस्य की ओर से आतीं तो ज्यादा अच्छा होता । मेरे माननीय मित्र ४२–४३ रोज पूर्व इस राजस्थान सरकार में हमारे साथी थे। काफी समय तक रहे और वही वेतन लेते रहे। उस सारे समय में उन्होंने कोई किसी प्रकार का सुझाव इस विषय में नहीं दिया और न उन्होंने वेतन लेने में एतराज ही किया। हमको सोचना चाहिये, क्योंकि यह सोचने लायक चीज है । हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

सरकार विचार कर सकती है। वर्तमान वेतन दर ज्यादा है तो उसमें कमी की जा सकती है। यह सदन के सोचने की बात है। जहां तक मैं समझता हूं मेरे मित्र भी इस बात को समझेंगे कि गांधीजी ने ५००) रुपये के वेतन की बात जब कही वह समय १९३७ का था। जब रुपये का मूल्य आज की दर से कहीं ज्यादा था। लोग तो कहते हैं कि पांच गुना या छः गुना अधिक मूल्य हो गया है। अगर हम दुगुना और तिगुना भी रुपये का मूल्य आंकें तो आज जो हमारी वेतन की दर है वह गांधीजी के उस आदेश से उस सम्मिति से आगे बढ़ता नहीं कम ही रहता है। यह छोटी सी बात है। ये बातें यह बता रही हैं कि इस भवन में जो आलोचनायें की जा रही हैं, वे कितनी जिम्मेदारी के साथ की जा रही है विरोधी दल के नेता ने ऐसी बातें की इसलिये यह सोचना पड़ता है कि आलोचना और ही हैं। उसमें कितनी सचाई, कितनी नेकनीयती, है यह सोचने का विषय हो जाता है। इस सदन में जितनी भी आलोचनायें हुई हैं उनमें से अधिकतर आलोचनायें आलोचना के लिए ही की गई हैं लेकिन उन्होंने सरकार की कठिनाई यां और तकलीफों का अनुभव नहीं किया। सरकार ने जो कुछ किया है उसका अनुभव नहीं किया आलोचना केवल आलोचना के लिए की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। जो जनरल ओब्जेक्शन मुझे करने थे वे मैंने किये हैं। बाकी बातें तो मेरे दूसरे मित्र आपको बतलायेंगे जब कि वे अपना पूरा जवाब देंगे। मैं इतना और कहूंगा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने यह भी कहा था कि यह तो पेरेलिसिस बजट है। हो सकता है यह बात किसी हद तक सही हो। यह भी कहा गया कि यह पुलिस बजट है; इसमें कोई सार्वजनिक काम की चीज नहीं है। शिक्षा के बारे में एक ओर आलोचना की गई है, जहां दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि रुपया तो काफी है लेकिन रुपयों का उपयोग ठीक ढंग से नहीं होता और उसके लिय उदाहरण दिया कि एडल्ट एज्युकेशन वीक (वयस्क शिक्षा सप्ताह) में बड़ा खर्च किया गया और वह प्रचार के लिये किया गया। मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि इस वीक में सरकार के खजाने से रुपया नहीं खर्च किया गया बल्कि सार्वजनिक चन्दा इकठ्ठा करके काम किया गया। इसके अतिरिक्त और कोइ बात नहीं बताई कि किस प्रकार से रुपयों का दुरूपयोग हुआ है। लेकिन यह तो मानते हैं कि इस मद में रुपया काफी रखा गया है। अभी मेरे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि बजट तो बहुत बड़ा है लेकिन ग्रामीणों के लिये तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने शायद देखा नहीं है कि इस बजट में जो ६०० ग्रामीण स्कूलें पिछले दो साल में खोली गई हैं उनके लिये भी खर्चे का प्रोविजन रखा गया है।

श्री जसवन्तसिंह:—यह शिकायत आपकी तरफ से भी हुई थी।

माननीय टीकाराम पालीवाल:—हां मेरी पार्टी वालों की तरफ से भी हो सकती है। मैं यह कब कहता हूं कि हमारी पार्टी वाले शिकायत करने में किसी से कम हैं। शिकायत करने की योग्यता में इस ओर भी कोई कमी नहीं है।

करप्शन के बारे में बहुत चर्चा की गई है। मैं मानता हूं कि शासन में कई जगह ढील होती है। मैं मानता हूं कि यहां भी नुक्स है। लेकिन ऐसी

बात नहीं है कि सरकार सजग नहीं है । पिछले दिनों में कितने ही करप्शन के केसेज़ हमने पकड़े है और दोषी लोगों को दंड भी दिया है । इस विषय में सरकार और अधिक व्यवस्थित ढंग से मशीनरी बैठाना चाहती है । और यह सरकार के विचाराधीन है कि एक ऐसी योजना बनायें जिससे इस प्रकार के करप्शन के केसेज़ रोके जा सकें और जहां कहीं होते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके । इस विषय में मैं यह कमी स्वीकार करता हूं और हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में सजग है और प्रयत्न करना चाहती है । आशा है उनका फल अच्छा निकलेगा ।

एक और बात जो, अध्यक्ष महोदय, महसूस हुई है वह यह है कि इस सदन में आने के बाद भी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना है; यह सुन्दर चीज नहीं है । पिछले तीन चार दिनों से मैं सुनता रहा कि बीकानेर से इतने रुपये आये, अमुक जगह से इतने रुपये आये । यह चीज तो अब हमें भुलानी पड़ेगी । मैं यह नहीं कहता कि भिन्न भिन्न जगहों की छोटी छोटी बातों को भुलाया जाय लेकिन कई सदस्यों ने इस सदन में चर्चा करते हुए इस बारे में कहा है और खास कर बजट के समय उनको यह सोचना होगा कि छोटी छोटी सरकारों के सामने वहीं के क्षेत्रों की आवश्यकता थी अब राजस्थान बनने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि जैसलमेर एक कमी का इलाका है, जिससे आय कम होती है; इसलिये सरकार को इस पर कम ध्यान देना चाहिये । राजस्थान सरकार को सभी इलाको की ओर और सभी जगह की जनता की आवश्यकताओं की ओर, चाहे वहां से चार करोड रुपये मिले हों या चाहे पन्द्रह करोड रुपये आये हों, पूरा ध्यान देना होगा जितनी कि उसकी शक्ति है । इसलिये यह देखना कि हमारे यहां से इतने रुपये आये, सुन्दर नहीं है । इस प्रकार की भिन्नताएं हमें कम करनी चाहिये । इस प्रकार का प्रोत्साहन देना कि यहां से इतनी रकम मिली और वहां की जनता का विशेष ध्यान नहीं रखा गया, अच्छा नहीं लगता ।

कई शिकायतें अलग अलग विभागों के बारे में हैं । वैसे तो संबंधित विभाग के मंत्री महोदय उचित समय पर उन का उत्तर देंगे । मेरे ख्याल से यह आज में हो सकता है इसके आगे भी समय आयेगा क्योंकि कुछ विभागों के संबंध भी कट मोशन आये हे जिनके उत्तर उसी दिन देना ठीक रहेगा । लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें कही गई हैं उनके बारे में मैं भी थोड़ा कुछ कहूंगा । एक शिकायत थी कि गंगानगर जिले में जमीन के जो प्लोट लोग छोड़ कर चले गये थे उनको एलोट करने के सिलसिले में कुछे गडबड़ी हुई है । मैं मानता हूं कि इस संबंध में कुछ खराबी हुई थी लेकिन उनको ठीक करने का प्रयत्न किया गया है और किया जा रहा है । एलोटमेन्ट ठीक ढंग से नहीं हुआ है और यह शिकायत पुरानी है । इसके लिये एक कमेटी भी बनाई गई है और मैं अर्ज करूंगा कि एकलाख बीघा से अधिक जमीन उन हाथों से निकलवाई गई है जिनके हाथों में नहीं जानी चाहिये थी । और भी कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां जमीन गलत तौर से एलोट की गई थी और उनकी तरफ जब सरकार का ध्यान दिलाया जायगा तो ठीक कर दिया जायगा । एक

शिकायत यह थी कि उदयपुर में कहीं पर एक डाक्टर है जो क्वालिफाइड नहीं है । इस विषय में सरकार को पूरी जानकारी नहीं है क्यों कि राजस्थान में कई ऐसी डिस्पेन्सरीज थीं जो ठिकानेदारों द्वारा चलाई जाती थीं और उनको अब सरकार को लेना पड़ा है ।

एक माननीय सदस्य:—पाइन्ट ओफ ओर्डर सर, वह जागीर १९ वर्ष तक कोर्ट ओफ वार्डस में रही थी ।

माननीय टीकाराम पालीवाल:—पाइन्ट ओफ आर्डर हरेक चीज का नहीं हुआ करता ।

माननीय अध्यक्ष:—इट इज पाईन्ट ओफ एक्सप्लेनेशन ।

माननीय श्र टीकाराम पालीवाल:—मुझे यह नहीं मालूम था कि वह ठिकाना कोर्ट ओफ वार्ड्ज में था । मैंने कहा कि यह संभव है कि जागीरी इलाकों में कोई डिस्पेन्सरी ऐसी हो जहां ऐसी चीज हो सकती है; लेकिन किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा डाक्टर हो यह मैं नहीं मानता ।

पेन्शन के केसेज में देरी लगती है यह खेद की बात है । सरकार खुद इस बारे में सोच रही है । अब अकाउन्टेन्ट जनरल के साथ ऐसी तजवीज करली है कि पहले जो देरी लगा करती थी अब नहीं लगेगी और सरसरी ढंग से जांच करके पेन्शन देदी जायगी ।

एक्स सोल्जर्स के बारे में शिकायत की गई है कि उनको बुलाने के बारे में पूरा ध्यान नहीं दिया गया है । यह सही है कि जितना उनके लिए होना चाहिए था उतना शायद नहीं हो सका । एक्स सोल्जर्स के लिए जितना हो सका करने का प्रयत्न किया गया है । लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है । मैं आपको बताऊं कि एम्पलोयमेन्ट एक्सचेंज आफिस ने सन् १९४९ से ३१ दिसम्बर, ५० तक १२६२ केसेज डिस्पोज आफ किये जिनमें से ३०६ को अमल में लाया गया। अगले साल और भी ज्यादा हुआ। १९५१ में ९ ऑफिसर्स का रजिस्ट्रेशन आया और १९५० के डिस्पोज आफ किये गये केसेज में से ६४९ को अमल मै लाया गया । तो इस प्रकार सन् ५० से ज्यादा प्रगति हुई और १९५२ में और भी ज्यादा प्रगति होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे मै उदासीन नहीं है, जितना सम्भव हो सकेगा उतना किया जायगा। में इस सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और यदि हो सके तो में एक्ससर्विसमेन के पास भी यह पहुंचाना चाहता हूं कि उनकी कठिनाइयों के प्रति सरकार उदासीन नहीं हैं । उनको अधिक से अधिक सुविधा देकर संतुष्ट करने के लिए सरकार चिन्तित है और उनका प्रबन्ध किया जा रहा है।

एक चीज ओर आई कि सरकार ने मोटर टैक्स बहुत बढा दिया है। इसके बारे में मैं उनको बताऊं कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में और निर्धारित आधार के मुकाबले में हमने यहां बहुत कम लिया है। मद्रास गवर्नमेन्ट स्टेट गेरेज के लिए

३६० रु० सालाना चार्ज करती है। टैक्स इन्क्वायरी कमेटी ने २२८० रु० सालाना की सिफारिश की थी लेकिन राजस्थान सरकार सिर्फ ६०० रुपया सालाना लेती है। ऐसी दशा में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह ज्यादा लिया जाता है। तो इस तरह और भी कई आलोचनाएं की जा रही हैं; उन्हें, मेरे माननीय मित्र आरोप लगाने से पहले और भीतर से देख लेते तो शायद उन्हें शिकायत करने का मौका ही नहीं आता।

श्री जसवन्तसिंह:– ६०० रुपये आपने बताये हैं मेरी समझ में गलत है। मोटरों का टैक्स २००० हजार रुपये हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अभी सही आंकडे मालूम हो जावेंगे। ला एन्ड आर्डर के बारे में काफी चर्चा रही, वह चर्चा का विषय भी है, और इस सदन के माननीय सदस्य जितनी दिलचस्पी इस विषय में ले रहे हैं इससे मुझे संतोष भी हुआ। थोडा बल भी मिला और में यह मानता हूं कि जितनी चिन्ता माननीय सदस्य इस सदन में प्रकट कर रहे हैं मुझे यह भरोसा होता है कि जो काम इस समस्या को हल करने के लिए सरकार करना चाहती है उसमें समस्त सदन के सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा। में आपके सामने इस समय बहुत विगतवार चीज नहीं रखना चाहता हूँ आवश्यकता भी नहीं है, दुबारा समय आयगा जब सारी चीज में रखूंगा। लेकिन मोटे तोर पर में कहता हूं कि यह ठीक है कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं हे उसकी चिन्ता जितनी सदस्यों को है उससे कम सरकार को किसी तरह नहीं, सरकार स्वयं चिन्तित है। सरकार केवल चिन्तित होकर ही नहीं बैठी है उसके लिए निश्चत भी कदम उठा रही ह। अब तक बहुत सा काम किया गया है ओर आगे भी कदम उठाया जायगा। पिछले दिनों की बातों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस ओर इतनी सतर्कता से काम लिया जा रहा है। हमारी पुलिस का खर्चा इन महत्व पूर्ण समस्याओं को देखते हुए ज्यादा नहीं है। मुझे हँसी आई जब एक मित्र ने यह कहा कि यह बजट तो पुलिस स्टेट का बजट ह। यदि वह दूसरे प्रान्तों के आंकडे देखते तो शायद वह ऐसा नहीं कहते। पांच स्टेटों के आकडे मेरे सामने हैं

१. वेस्ट बंगाल
२. पंजाब
३. मध्यभारत
४. सौराष्ट्र
५. राजस्थान

इन पांच स्टेटों में से राजस्थान में पुलिस का खर्चा सबसे कम है। वेस्ट बंगाल में २.३७ पुलिस पर खर्च होता है। जब दूसरी स्टेटों में इतना खर्चा होता है तो फिर राजस्थान के लिए यह कैसे कहा जा सकता ह कि यह पुलिस स्टेट का बजट है। हम नहीं चाहते कि इस स्टेट को पुलिस-स्टेट बनाया जाय लेकिन जो अराजकता चल रही ह उसको दबाने के लिए यदि पुलिस का खर्चा बढाना भी जरूरी हुआ तो निश्चत रूप से खर्च बढाया जायगा। और इस चीज को में हाउस के सामने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के रखूंगा।

ला एन्ड आर्डर की स्थिति के बारे में जब चिन्ता प्रकट की जाती हो वहां तो २-३ बातों को भी भुलना नहीं चाहिए। हमारे यहा पर कई प्रकार की कार्यवाहियां हो रही है। इसके कई एक कारण है। किसी प्रदेश की ला एण्ड आर्डर की स्थिति के वारे में विचार करने से पहले उसकी सारी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। हम देखते हैं कि हमारे यहां कितना बडा भूभाग है इसमें कई तरह के पहाड के टीबे हैं, कई एक खाइयां हैं जिसमें चौरी डकैतियों और दूसरे लोगों को सहज ही में छुपने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी एक और वडी कठिनाई है। जैसा कि किसी प्रदेश की जनता का रवैया कैसा होता है, विभिन्न वर्गों में वह रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहां भी एक ऐसा वर्ग है जो कि चोरों और डाकुओं का मुकाबला करना तो दूर रहा, सहज ही में दब जाता है। दूसरा वर्ग वह है जिनका निश्चित रूप से चोरियों और डकैतियों में उनका हाथ रहता है, उनका सहयोग मिलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कीजिए, यह हमारे यहा बहुत सम्भव है इस सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। राजस्थान में एक विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग है जोकि अपना प्रभाव रखता है, कई प्रकार के साधन रखता है। इस वर्ग के कुछ लोग, मैं यहां सब लोगों के विष में तो नहीं कहता मगर इनमें से काफी अच्छी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि उनको सहायता देते रहे, प्रोत्साहन देते रहे और दुर्भाग्य से खेद की बात है कि ऐसे लोग बहुत कम निकले, शायद ही कोई निकला होगा, जिन्होंने लॉलेसनेस को दबाने की कोशिश की हो या कभी यह काम किया हो। यह भी एक फेक्टर है इसको हमें भुलाना नहीं चाहिये। मैं कहूंगा कि यह स्थिति बदलेगी। मुझे अपने विरोधी दल के मित्रों की तरफ से इस सदन में और इस सदन के बाहर भी जो आश्वासन दिलाये गये हैं उससे यह मालूम होता है कि अवश्य ही सरकार के साथ उनका सहयोग होगा और सरकार बिगडती हुई स्थिति पर काबू पा सकेगी और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, और कार्यरूप में परिणित करने में मदद देंगे और जिससे भविष्य में जनता और सरकार का फायदा करेंगे। यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार इस कार्य में बिलकुल ही आरूढ़ रही है। हो सकता है कि जितनी तत्परता से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ हो। लेकिन सरकार ने जो कार्य किया है उसमें उसे सफलताएं मिली अवश्य हैं और मैं इस संबन्ध में आपको आंकड़े बता सकता हूं।

इस सदन के सामने लम्बे ब्योरे की आवश्यकता नहीं। मेरे माननीय मित्रों ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं और बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जिनकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की नहीं हैं। इसलिए मैं उनको उनके सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें ऐसी बता सकता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि पिछले ६ हफ्तों में जब से कि मेरे विरोधी दल के नेता अलग हुए, जो पहले हमारे साथ थे, उन ६ हफ्ताओं की बात बताता हूं उस पर आप ध्यान देंगे तो आप संतोष के साथ कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ काम अवश्य किया है। पूरे संतोष के साथ तो नहीं फिर भी कुछ संतोष के साथ किया है, यह कह सकते हैं। पिछले

६ सप्ताओं में ३६ डाकूओं को गिरफ्तार किया। यह कोई बडी चीज तो नहीं फिर भी काफी संतोष की बात है और इनमें से कई तो एक मशहूर डाकू थे। वे डाकूओं के नेता थे जिन्होंने कई डकैतियों में भाग लिया, कई हत्याएं कीं, ऐसे भयंकर डाकू पकडे गये। पिछले ६ सप्ताहों में पुलिस ने ३६ डाकूओं को पकड़ा, इसको देखते हुए यह नहीं कह सकते कि पुलिस ने कुछ नहीं किया।

एक सदस्यः—क्या माल भी बरामद हुआ और हुआ तो कितना ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—मैं बताना चाहता हूं कि १९५२ फरवरी में जो डकैती के दौर चालू थे और जो डकैती परिहारा गांव में हुई थी वह बहुत बड़ी डकैती हुई थी। उस डकैती से आस पास के गांवों में बहुत पेनिक फैल गया था। इस डकैती के कई डाकूओं को पकडा गया; इसमें से ४ डाकू मारे गये और १५ गिरफ्तार हो गये। ४०९०४ रुपये और कुछ आनो का माल बरामद हूआ। यह चोरी गई प्रोपरटी का वहुत थोड़ा भाग है। इसको संतोषजनक तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सी प्रोपरटी इधर उधर कर दी गई; जो नहीं मिल सकी। इस प्रकार बडे २ डाकूओं को पकड़ा गया। उनमें से एक दो एब्सकोन्ड हो गये। हमें दिक्कत इस बात की आती है कि उन्हें आइडेन्टीफाई करने के लिए कोई नहीं आता यह जनता के मोरल की कमजोरी है। तो ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने या पुलिस ने अपने काम को करने में कमी रखी है। मैं यह नहीं चाहता कि जो बातें मेरे दोस्तों ने पहले कही है उनको दोहरा कर मैं आपका समय लूं और उन्हें भी शिकायत करने का मौका मिले मुझे दरअसल फेक्ट के बारे में, और भी थोडी बाते आपके सामने रखनी चाहिए थीं। मैं, अध्यक्ष महोदय इस हाउस में यह कहूंगा कि जो आलोचना हो वह इमानदारी के साथ व जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए न कि आलोचना के लिये ही, ताकि आगे के लिए उस चीज को हम सुचारू रूप से चला सकें। मैं खुद कहता हूं कि कमी रही है और मैं यह कहूंगा कि ऐसी कौनसी सरकार है जिसके कामों में त्रुटि न पाई गई हो।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत हाउस को बता देना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में कितनी गिरफ्तारियें हुई। पिछले तीन सालों में १०४२ डाकू पकड़े गये। यह कोई छोटी संख्या नहीं। वास्तव में होता यह है कि जब कोई भी, कहीं भी चोरी या डाका पडता है तो पत्रकार उसको बडा चढा कर बड़े अक्षरों में छाप देते हैं। यह शिकायत पत्रकारों के लिये है। जब वे चोरियां और डकेतियों की खबरें छापते हैं तो उन्हें चाहिये कि जब चोर और डाकू पकड़े जावें तो उन खबरों को भी बड़े अक्षरों में छापे ताकि जनता को मालूम रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक खबर को दो तीन दफे छाप देते हैं। मगर जो काम पुलिस करती है वह कभी प्रेस में नहीं आता। मैं यह प्रेस के महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सही स्थिति जनता के सामने रखें। इस बात से कि आप एक तरफ की बात ही लिखें और दूसरे तरफ की नहीं, देश प्रान्त की सेवा नहीं हो सकती। आपको चाहिये कि डाकुओं के पकड़े जाने की खबरें भी दें। जिस प्रकार डकैतियों और चोरियों की खबरें अखबारों में आएं उसी प्रकार उनके गिरफ्तारियों की खबरे भी आएं जिससे कि जनता का मोरल बढ़े और डाकुओं पर भी इस बात का असर पड़े।

एक सदस्य:-असली डाकू नहीं पकड़े गये होंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-ये थोड़े से शब्द कह कर मैं अपने एक बन्धु, विशेष रूप से मेरे विरोधी दल के नेता से और दूसरे माननीय महानुभावों से निवेदन करूंगा कि जो आलोचनाएं हों आलोचना के रूप में हो। आप अपनी कठिनाइयों को सामने रखें और इमानदारी और सदभावना से आलोचना करें। हम भी उनको मानते हैं और मैं आपको अपनी सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सही आलोचना होगी तो उसके लिये कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा जावेगा शासन के सुधारने में हो चाहे या किसी दशा में हो वह आपकी आलोचना होनी चाहिये। करप्शन, लॉ एन्ड ओर्डर, आदि चाहे वह किसी भी दिशा में हो उसको मिटाने का प्रयत्न किया जावेगा और कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा जावेगा। मैं वादा करना चाहता हूं कि यदि इस सदन में समर्थन मिला तो मेरा यह निश्चित विश्वास है कि हम बहुत कुछ थोड़े समय में ही कर के दिखा सकते हैं। हम जादू करके तो नहीं दिखा सकते; लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इमानदारी और नेक नियती से यदि हमें सहयोग मिलता रहा तो हम थोड़े ही समय में एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हद तक सुधार कर दिखा देंगे। (चिअर्स) । यह केवल मेरी बातों से नहीं हो सकता। दूसरे महानुभाव हैं, दल हैं, यदि वे इसमें जादू कर इसको परफेक्ट कर देंगे तो उनके पीछे चलने के लिए मैं तैयार होऊंगा। मैं जिम्मेदारी के साथ यह वादा करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सुधारने में यदि इस सदन के महानुभावों का सहयोग रहा; सदभावना रही तो मैं आशा करता हूं कि हम इस शासन को काफी ठीक कर देंगे।

माननीय श्री भोलानाथ:-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने विभाग के बारे में कुछ बातें कहने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जिसकी ज्यादा चर्चा इस सदन में रही ह और जिसके बारे में सब से ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी ली है। माननीय सदस्यों ने अपनी कोन्स्टीटयूऐन्सी (क्षेत्र) के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा इस विभाग के बारे में की है। वैसे ही इस विभाग का सुन्दर नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग। हर एक आदमी को और जो ज्यादातर जनता में काम करते हैं उनको इस विभाग के बारे में दिलचस्पी होनी ही चाहिये। मैं इस विभाग के बारे में बडे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे किसी प्रकार की निराशा इस विभाग से नहीं। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने या अन्य महानुभावों ने प्रगट किया है कि एकीकरण के बाद उनको इस विभाग के कार्य से निराशा हुई है। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि एकीकरण के बाद कई अच्छे कार्य हुए, कई तरक्की की बातें हुई; वे सब ही इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हुई। मैं ये सब बातें आपको आंकडों से बताना चाहता हूं। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वे सब प्रकट करते हैं कि मर्जर के पहले हमारे

इस राजस्थान के अन्दर मेटल्ड रोड व कंकरीट सड़कें २७३० मील थीं; लेकिन वे तीन सालों में २९४२ मील हुई। इसका मतलब यह हुआ कि करीब २०० मील नयी सड़कें बनी हैं। इस तरह से २७३० मील जो सड़कें थी उनमें २०० मील की नई सड़क इन तीन सालों में और बनायी गई। तो यह प्रगति कोई कम नहीं है। यह निराशा प्रगट करने की बात नहीं।

श्री मानसिंह:-ओन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समय में जो गड्ढे करीब ४०० मील सड़कों में पड़े हैं, जो खराबी हुई है और उन सड़कों की यह हालत है तो कि कोई भी गर्भवती स्त्री यदि तांगे में बैठकर जाय तो गर्भ गिर सकता है तो उनके लिए क्या किया गया ? यही हाल है झोटवाड़ा और जयपुर की सड़क का।

माननीय श्री भोलानाथ:-(अपना भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर भी नहीं। यह स्पीच का दौर है जो कई दिनों से बराबर चलता आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार को विरासत मिली है उस विरासत में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो मैंने आपको सामने आंकडे रखे उनके बारे में जो बजट के आंकड़े हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं और सदन को विश्वास में लेने से पहले यह बताना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने मेरे इस विभाग पर क्या क्या शिकायतें की हैं कि हमारे कोटा और खास तौर से भरतपुर के मेम्बरों ने विशेष रूप से शिकायत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर दो ही इलाके ऐसे हैं जहां के महाराजाओं ने इन सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कोटा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा के विलीनिकरण के दो साल पहले कोई सड़क का काम शुरू नहीं किया गया। भरतपुर में किसी नरेश ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया। अब यह सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आई है। इन दोनों सदस्यों ने जो बात कही है उसमें विशेष रूप से चर्चा में खासतौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि भरतपुर के लिए सब से ज्यादा खर्च किया गया। आपने देखा होगा कि भरतपुर को जयपुर से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह खर्चा किस प्रकार किया जाता है ? सड़को के लिए खर्च करने का तरीका निश्चित किया गया है। बजट को देखने से पता लगता है कि केवल तीन लाख रुपया मामूली रेवेन्यू से लेते हैं। आप देख सकते हैं तीन लाख में कितनी सड़कें बन सकती है। जैसा कि आपको मालूम है २० हजार रुपया प्रति मील सड़कें बनाने में खर्च होता है। शेखावाटी या गंगानगर इलाके की तरफ सड़कें बनाना हों तो ४५ हजार रुपये करीब खर्च आता है। केपिटल इनकम में से १७ लाख ५ हजार इस काम में लेते हैं तो इस प्रकार २० लाख रुपया इन सड़को पर खर्च किया जाता है। रेवेन्यू से ज्यादा रुपये खर्च नहीं किये जाते। ऐसी हालत में सड़कों की डिमान्ड कैसे पूरी की जा सकती है। भारत सरकार से हमें इन्टिग्रेशन होने के बाद इस काम में बड़ी मदद मिलने लगी है। इस एकीकरण के बाद

फेडरल फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार ने साठ लाख रुपया देना तय किया है । इससे जो कुछ भी माननीय सदस्यों की मांगें है पूरी की जा सकती है ? पिछले दिनों में जो कुछ काम हुए हैं, रोड़ के संबन्ध में काम हुए हैं, उसमें ८० प्रतिशत हमे दिया जाता है। जिससे मामूली सड़कों का काम चलता है । बाकी १५ प्रतिशत रहता है। हम हमारी जरूरतों के अनुसार, कम या ज्यादा भारत को प्रेस करते हैं वह लिया जाता है । जिसका नमूना है रायगढ रोड़ के लिए पैसा लिया गया । यह इस विभाग की तत्परता पर निर्भर करता है कि कितना रुपया भारत सरकार से ले सकता है । रावी आदि नदियों पर पुल बनवाने के लिए भी हमें रुपये मिल गये हैं । ५ परसेन्ट फंड है । हम कोशिश कर रहे हैं ५ प्रतिशत जो बाकी रहता है, वह इस काम के लिए दिया जाय । आपने सुना होगा व अखबारों में पढा होगा कि फेडरल फाइनेन्स के इंटिग्रेशन के बाद जो मदद मिलनी चाहिये थी वह डेवलोपमेन्ट प्लान में है । उसके मुताबिक जो रुपये हमें मिलने वाले हैं उनके आंकडो के बारे में आपने अखबारों में पढा है, वह २ करोड ९० लाख रुपियों की रकम है। यह रकम राजस्थान सरकार को अपनी मर्जी के माफक खर्च करने के लिये नहीं मिलने वाली है, उसे हम मनमाने तरीके से खर्च नहीं कर सकते । हम यहां पर जो प्रपोजल (सुझाव) बनाते है उन्हें वहां केन्द्रीय सरकार में भेजते हैं। वहां पर उनका ट्रान्सपोर्ट एडवाइजर टेकनिकल दृष्टि से उसको एग्जामिन करता है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के पास राय के लिये भेजा जाता है और फिर उसके लिये सेंक्शन दी जाती है। राजस्थान सरकार तो सिर्फ एजेन्ट के रूप में काम करती है । इसके आने के बाद मैं हाउस में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अब जो प्रपोजल भेजे जायेंगे वे आप सब की राय से भेजे जायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप अपने सुझाव देने की कृपा करें और उस प्रपोजल में संशोधन कर दिया जायगा क्यों कि हम संशोधन भेजने वाले हैं। वह किस प्रकार संभव है इस बारे में अर्ज करूंगा कि जैसा कि राजस्थान के नक्शे से जाहिर होगा, राजस्थान में २५ डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से १७ ऐसी हैं जो सड़कों से जुडी हुई हैं और बाकी को जोड़ना है। कई एस. डी. ओ. के हेड क्वार्टर हैं जिन्हें सडकों से जोडना है । तहसील हेडक्वार्टर्स को भी सडकों से जोडना है । २०० तहसीलों में से १०२ तहसीलें हैं जिन्हें सड़कों से जोडना है। गांवों या कस्बों को जुडवाना चाहेंगे तो संभव नहीं हो सकेगा । आपके सुझाव इसी दृष्टि से आने चाहिये; भारत सरकार के सामने भी इसी दृष्टिकोण से हम प्रार्थना भेजेंगे । २ करोड़ ९० लाख की रकम पांच साल में हमें खर्च करने के लिये दी गई है; उससे हमें संतोष नहीं हुआ है । हमने उनसे हमारे प्रान्त के लिये ७ करोड़ की रकम मांगी थी उसमें से उन्होंने हमें जो २ करोड़ ९० लाख रुपये दिये है उससे हमें संतोष नहीं है। इस लिये हमने १ करोड़ १० लाख रुपये फिर मागे है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह रकम भी मंजूर होने वाली है । इसका प्लान में माननीय सदस्यों की सलाह से भेजना चाहता हूं। आशा है आप मदद करने को कृपा करेंगे।

अभी एक चर्चा थी कि पी. डब्लू. डी. ज्यादातर पैसा सड़कों आदि में खर्च नहीं करके एस्टाब्लिशमेन्ट में अधिक खर्च करती है। आकड़ो के साथ में निवेदन

करूंगा कि अपने यहां इस मद में केवल ७ प्रतिशत ही खर्चा किया जाता है जब कि हमारा पड़ोसी मध्यभारत १४ प्रतिशत एस्टाब्लिशमेन्ट में खर्च करता है। इस बात से जाहिर होगा कि निर्माण विभाग अपने ढंग से चल रहा है। किसी चीज की आलोचना आसानी से की जा सकती है। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है इस विभाग की आलोचना करने से पहले यहां की व्यवस्था को समझना आवश्यक था। मुमकिन है किसी कन्ट्रेक्टर के बिल का पेमेन्ट नहीं हुआ हो। कोटा से एक ऐसी शिकायत आई थी । उसकी जांच की गई । उसने अपील की है। उसकी अपील का फैसला होगा, तब उसे पेमेन्ट करने का सवाल आयगा । कोटा की सड़क के बारे में जो सवाल है उसके बारे में यह अर्ज है कि ऐसे जितने भी सवाल हैं उन सब पर विचार किया जाय तो ३६ लाख रुपये अभी होने चाहिये । उम्मीद है १० साल में पूरा किया जा सके। अजमेर जाने वाली सडक की मरम्मत, झालावाड़ की सड़क आदि हमारे प्रोग्राम में ले ली गई है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि १ करोड़ १० लाख रुपयों की जो स्कीम बनेगी उसमें कई एक को शामिल कर लिया जायगा। यह विभाग यथा-संभव सेवा करने को तैयार रहता है। हमारे माननीय सदस्य की सलाह थी कि सडकें आदि न बनाई जायं क्योंकि सडकों से उनके ऊंठ मवेशी आदि की चोरी हो गई तो चोरों की खोज का पता नहीं चलेगा। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि लॉ एण्ड ओर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिये ही सडकों को बनाना जरूरी हो गया है । यदि वे अपने इलाकों में सडके बनालेंगे तो उनके मवेशी चोरी में नहीं जायेंगे क्योंकि सडकों के कारण शासन अच्छी तरह कंट्रोल कर सकेगा।

श्री खेतसिंह:—वॉट अबाउट शेरगढ़ सड़क

माननीय श्री भोलानाथ:—इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट यदि मामूली रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाय तो ३ प्रतिशत के करीब है और केपिटल एक्सपेंसेज (खर्चों) के लिहाज से देखा जाय तो ३ प्रतिशत से अधिक नहीं है। इतने से जो सेवा हो सकती है वह यह विभाग कर रहा है । गंगानगर सडक के बारे में जो बात कही गई है उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जायगी। हनुमानगढ़ की सडक का मामला भी सरकार के ध्यान में है। मत्स्य के राजस्थान में मिलने से पहले मंडावर की सड़क बनाने का था। इस सडक को जिस घाटे से पार किया गया है वह काम सैकडों वर्षों से नहीं किया जासका। इन्टिग्रेशन के बाद यह काम पूरा किया गया । जालोर की सडक ठीक करवाई गई, शेरगढ़ की सड़क को फाइव इयर प्लान में शामिल ले लिया गया है। इसका मतलब यह है कि वह सड़क मंजूर शुदा है और इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । अब इस योजना को भारत सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजना होगा क्यों कि अपनी सरकार तो इस मामले में एजेन्सी के रूप में काम करने वाली है । उदयपुर की सूरजपोल जाने वाली सड़क को भी दर्ज कर लिया गया है । नोखा की सडक के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं कि यह सड़क अपनी नहीं थी। इसे डिफेन्स डिपार्टमेन्ट वालों ने बनाया था । इसकी

मरम्मत करवाने के बारे मे कई बार लिखा पढ़ी करनी पड़ी । आखिर राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि वह खुद इसके लिये जिम्मेदार है । डिफेन्स डिपार्टमेन्ट ज्यादा पैसा नहीं देगा तो अच्छी हालत में नहीं रखी जा सकेगी ।

बिल्डिंग्ज के बारे में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी बिल्डिंग विभाग जिस रूप में काम कर रहा है वह ठीक एजेन्सी के रूप में है। कुछ बिल्डिंग्ज पी. डब्लू. डी. के सीधे देखरेख में हैं और कुछ का काम भिन्न भिन्न विभागों द्वारा होता हैं । वे जिस तरह प्रायोरिटि देते हैं उसी तरह का काम इस विभाग द्वारा किया जाता है । रायसिंह नगर की स्कूल और सपोतरा की डिस्पेन्सरी के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके संबन्ध में माननीय संबंधित मंत्री महोदय विशेष सूचना आपको दे सकेंगे ।

दूसरी बात की आलोचना बिजली विभाग के बारे में की गई है। इसके बारे में भी कोई निराशा की बात नहीं है क्योंकि जयपुर जब से केपिटल हुआ है तब से बिजली के बारे में शिकायत की जाती है। जयपुर के पावर हाउस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ा है। सिर्फ जयपुर म ही ५८४९ नये कनेक्शन्स बिजली के दिये गये हैं । एक पावर हाउस पर कितना बोझ बढ़ेगा और जो भी मशीनें हैं उन पर कितनी जिम्मेदारी है यह देखने की बात है। इस संबन्ध में यह भी कहा गया हं कि बिजली की सुविधा का ध्यान सिर्फ जयपर में ही दिया गया है । राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बाद और और शहरों में और बाहर के इलाकों में भी ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिये गये हैं।

श्री जसवन्तसिंहजी:--अभी माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया कि अभी आठ सौ के करीबन कनेक्सन दिए गए । जब आपका पावर हाउस इस शक्ति को लेने के योग्य नहीं है तो क्या जरूरत थी यह कनेक्शन और देकर क्यों सारी जनता को तकलीफ और बढ़ गई ।

माननीय श्री भोलानाथ:--मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति नहीं है बल्कि उन पावर हाउस के अन्दर कनेक्शन बढ़ाने की चेष्टा की गई है । और यह मैं कहता हूं कि जल्दी ही डिमांड्स का अवसर आयेगा तब मैं निश्चित रूप से आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा । बीकानेर में १८५३ नये कनेक्शन दिए गए, जोधपुर में १८५१ दिए गए और खास तौर से अलवर को २२४ कनेक्शन दिए गए और भरतपुर की शिकायत आने पर वहां ३०० के लगभग नये कनेक्शन दिए गए हैं। जैसा कि वाद विवाद में कहा गया कि यह घाटे पर चल रहा है। जहां तक घाटे का सवाल है यह विभाग घाटे में जरूर चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि घाटे के कई कारण हैं । पहले वह राजाओं के ऐश आराम, उनकी शान शौकत बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता था, इनके कुछ नये तरीके सामने आयें हैं। कुछ ऐसे राजा थे जिनको कि यह बिजली फ्री दी जाती थी, उनको जितनी बिजली दी जाती थी उससे भी वे लोग अधिक खर्च करते थे, इसलिए उनसे भी पैसा लेना बाकी है। पहले पावर हाउस उनके पास थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि ४३ लाख रुपये के करीब हैं जो वसूल होने है ।

सात लाख रुपये प्रिन्सेज से बाकी है और ११ लाख रुपये महाराजाओं से बाकी है, १६ लाख रुपये स्टेट डिपार्टमेन्ट्स से बाकी है और सवा दस लाख के करीब और जगहों से लेना बाकी है। यह सब रकम अभी वसूल करनी है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह सब ठीक करने में समय लग सकता है। जब यह सब ठीक हो जाने के पश्चात यह रुपया जब हमारे पास आ जायगा तो यह विभाग घाटे का विभाग नहीं माना जायगा ।

जहां केपिटल के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए १७ लाख रुपये और ज्यादा क्यों दिए गए जब कि घाटे का बजट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पड़ौसी मध्यभारत है, मध्यभारत ने २॥ करोड़ रुपये रखे हैं; जबकि यहां पर कुल ३० लाख रुपये है। और भी केपिटलें हैं। मध्यभारत तथा और रियासतें उनको ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं और यह रुपया खास तौर से खर्च करना ही होता है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट व्यापारिक तौर पर चलाया जाता है जब तक उन पर पूरा पैसा नहीं लगता है, पूरा फायदा नहीं होता। कहावत है कि "ओछा बीज धान को खावे" । तो जब तक इन पर पूरा पैसा खर्च नहीं किया जायगा पूरा फायदा नहीं होगा ।

यह भी कहा गया है कि आजकल जिस तरह से काम चल रहा है उससे तो यह अच्छा होगा कि यह पावर हाउस कम्पनियों को दे दिया जाय। मैं यह बताना चाहता हूं कि आजकल इन कम्पनियों की भी हालत अच्छी नहीं है। इस वर्ष ही प्रतापगढ, किशनगढ, शाहपुरा के पावर हाउस इन कम्पनियों के पास से लेने पड़े हैं क्योंकि वे सब घाटे में चल रहे हैं; इससे काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक को इससे बहुत शिकायत है। ऐसी स्थिति में यह सुझाव कि पावर हाउसेज कम्पनियों को दे देना चाहिए ठीक नहीं है । और जहां तक मुझे मालूम है अलवर में राजगढ पावर हाउस, कुचामन रोड़ का पावर हाउस, नवलगढ़ का पावर हाउस, सीकर का पावर हाउस; ये सब घाटे में चल रहे हैं और स्थिति अच्छी नहीं है; क्योंकि आयरन कनेक्शन होते है उसकी कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। इसका खास तौर से असर बीकानेर पर आया है। बीकानेर में जो पहले कोयले की खान थी वह खराब हो जाने के कारण बंगाल से कोयला मंगाना पड़ा और बंगाल से कोयला मंगाने से जो पहले १२ रुपये पर टन आता था उसका चालीस रुपये प्रति टन देना पड़ा। इस तरह अकेले बीकानेर से ५-६ लाख का घाटा आया । जब यह सारी व्यवस्था हो जायगी तो यह घाटा नहीं रहेगा ।

अभी बहस के दौरान में यह भी कहा गया है कि मिनिस्टरों के बंगलों पर काफी बिजली खर्च होती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी मिनिस्टर के यहां पर ७५) रुपये से अधिक की बिजली खर्च करने पर उन्हें पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है । तो इससे सरकार को फायदा ही हुआ है ।

श्री जसवन्तसिंहजी:--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कायदा हाल ही में ४-५महीने में बना है या जबसे हमारे प्रान्त में नई हकूमत बनी है तब से है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-पिछली हकूमत जब से चली है तब से ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-कुछ वक्त का अन्दाजा बताया जा सकता है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-पिछली गवर्नमेंट ने बनते ही तुरन्त इस काम को लिया है ।

श्री तेजमल बापना:-भीलवाड़ा पावर हाउस के बारे में क्या हो रहा है ।

माननीय श्री भोलानाथ:- भीलवाड़ा पावर हाउस का सवाल अभी पैदा हुआ है क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने अभी सूचना दी है । माननीय अध्यक्ष मैं यह बताना चाहता हूं कि उस ओर व्यवस्था की जा रही है । वहां पावर हाउस बनाने के लिये एक इंजीनघर की आवश्यकता है । वहां अभी जो पावर हाउस चल रहा है वह इंडस्ट्रीज विभाग के मकान के अन्दर चल रहा है । उनसे और जगह की मांग की जा रही है । जब मकान की व्यवस्था हो जायगी तभी इसका काम आगे बढ़ सकेगा । वहां पर इंजन वगैरह भेजे जा चुके हैं और जल्दी ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है ।

अब समय कम है अध्यक्ष महोदय, मुझे २-३ बातें मेरे विभाग के बारे में कहनी थीं खास तौर से वाटर वर्क्स, कस्टम विभाग, एक्साइज ड्यूटी आदि के बारे में । मैं कुछ जरूरी स्थिति आपके सामने रखना चाहता था । लेकिन अब समय कम है तो मैं आशा करता हूं कि जब डिमांड का अवसर आयेगा तो मैं पूरी विगत आपकी सेवा में रख सकूंगा । वाटर वर्क्स की स्थिति के सम्बन्ध में थोड़ासा कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं ।

वाटर वर्क्स की जो स्थिति आज है उसके दो कारण हैं । एक तो वाटर वर्क्स पर बिजली विभाग का सीधा अधिकार रहता है और दूसरा पब्लिक वर्क्स विभाग का उस पर अधिकार रहता है । आज जो हमारे पास वाटर वर्कस हैं उनमें जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर और जोधपुर के खास तौर से माने जाते हैं जिनको सरकार अपने हाथ में लिए हुए है । इनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी स्थिति भी काबू में रही है और उनको ठीक करने की कोशिश की गई है । जयपुर में, जब से राजधानी बनी है, यहां वाटर के कनेक्शन देने में वृद्धि हुई है । अब तक कुल २३९० नये कनेक्शन दिए गए हैं और बीकानेर मे १०१२ कनेक्शन नये दिए गए हैं । बीकानेर की स्थिति साफ है कि वहां के वाटर वर्क्स पर सरकार को बहुत बड़ा घाटा रहता है, इसलिये सरकार सोच रही है कि स्थिति को किस प्रकार काबू में लाया जाय । वहां फ्लैट रेट से अब तक पानी बहुत से लोगों को दिया जाता है, अब मीटर लगाकर स्थिति को कन्ट्रोल में किया जाय और ज्यादा से ज्यादा सज्जनों को, वहां के लोगों को सुविधाएं दी जायं; ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है।

झालावाड़ के वाटर वर्क्स के बारे में एक सवाल आया था । इसमें शक नहीं है कि उनके ३,५७,०००) रु० इयर मार्क्ड हैं उस पर तजवीज की जा

रही है; झालावाड़ और झालरापाटन को मिलाने की। उसके एस्टीमेट तैयार किये जा रहें हैं। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही समय में उस पर कार्यवाही की जा सकेगी।

अब सबसे बड़ी जो समस्या पानी की है। हम समस्त राजस्थान को, पानी की समस्या के हिसाब से, २ भागों में बांट सकते हैं, एक तो अरावली के ऊपर का हिस्सा, जिसको वेस्टर्न जोन (Western Zone) कहते हैं; और दूसरा वह हिस्सा जिसको ईस्टर्न जोन कहते हैं। वेस्टर्न जोन के लिए पानी की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न सरकारों ने विभिन्न काम किये हैं, । राजस्थान सरकार के सामने प्रश्न है कि वह इन सब को कैसे हाथ में लें ? अभी एक केबीनेट डिसिजन हुआ था कि कहीं पर भी वाटर वर्क्स की मांग की जाती है तो उस पर किसी भी अच्छी स्कीम को चलाने के लिए १५ लाख रुपये चाहिये। इस प्रकार कैपिटल एक्सपेन्डिचर पर खर्च करने के लिए हमारे पास रुपया नहीं है। वाटर वर्क्स या और कोई भी स्कीम जो कैपिटल में से शुरू होने वाली हो उसको सरकार नहीं लेगी, उसके लिए हमारा ऐसा विचार है कि स्थानीय लोगों को तैयार किया जायं या म्युनिसिपैलिटियों को तैयार किया जायं। केन्द्रीय सरकार या अन्य दूसरी रियासतों में जो कि 'ए' क्लास की हैं वहां पर इनकी सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों पर है और बहुत कम जिम्मेदारी सरकार पर है। म्युनिसिपैलिटियों को कोई दिक्कत आयेगी तो सरकार मदद देगी।

गांवों के बारे में भारत सरकार की बड़ी चेष्टा है और अपनी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां १० लाख रुपये के करीब सेंक्शन (स्वीकृत) किया गया है। १० लाख रुपये किस तरह से खर्च होने वाले हैं इसकी मर्यादायें पहले से बांध दी गई हैं। वह पंचायतों के द्वारा खर्च किया जायगा जो कि स्थानीय गांवों में बनी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों की पंचायतों का अच्छा संगठन किया जायं और उस संगठन के द्वारा जनता की पानी की समस्या, और राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या को हल किया जाय।

इधर ईस्टर्न जोन में ट्यूब वेल के एक्सपेरिमेंट किये जा रहे हैं। मुमकिन हो कि इसमें सफलता मिले।

भरतपुर का सवाल सामने आया था। पिछले साल भरतपुर के लिए एक वाटर वर्क्स की स्कीम मन्जूर की गई थी। वह स्कीम सेंक्शन्ड है, लेकिन रुपये की कमी है; उसके लिए जिम्मेदारी किसकी हो ? बाकी रुपये की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी किस की हो यह सवाल बाकी है। यदि बाकी रुपये को खर्च करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी भी ले ले, तो निश्चित रूप से २ लाख रुपये भरतपुर को दे दिये जायेंगे। मगर में अर्ज करना चाहूंगा कि इन २ लाख रुपयों से कोई वाटर वर्क्स की स्कीम पूरी नहीं होने वाली है। वाटर वर्क्स के लिए कम से कम २० लाख रुपये चाहियें। आज हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम २० लाख रुपये भरतपुर के लिए खर्च कर सकें। साथ ही साथ यही स्थिति उदयपुर के लिए है। २ लाख रुपये की स्कीम चल रही है, लेकिन उससे बहुत मामूली काम हो रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है इसका प्रोवीजन भी है।

श्री जसवन्तसिंह:-माननीय अध्यक्ष, एक मिनट, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मेरे व्याख्यान में मैंने यह दरख्वास्त की थी कि एक इमारत बीकानेर में है जो ऐसी है जिसके ठीक कराने के लिए १।। लाख रुपया बजट में रखा गया है। वह करीब करीब ६० साल से हमारे क्लब के कब्जे में है। वह रकम हमें सौंप दी जाय, तो उसका हम सब खर्च आयन्दा चलाने के लिए तैयार हैं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-यह क्वश्चन जब बकायदा आयगा तो विचार किया जायगा।

Shri Raja Man Singh—May I seek information, Sir. In the budget Head for Water and Electric Supply to Hon'ble Ministers, residences. The figure is Rs. 13,200/-, but now the Hon'ble Minister has just put a different figure. May I know whether the figure quoted by the Hon'ble Minister is correct?

The other thing, I want to know, Sir, is that in Rajasthan it has been stated that there is lawlessness. May I know whether the Hon'ble Member has said this from his personal experience or they are from authoritative report of the I. G. Police.

माननीय श्री भोलानाथ:— माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्या कहा समझ में नहीं आया। लेकिन माननीय मंत्रियों के बिजली और पानी के बारे में एक बात मैं कहना भूल गया था; वह है कि माननीय मंत्रियों को पानी के २५ रुपये तक तो फ्री है और २५ रू० से ज्यादा जो खर्च करते हैं तो उन्हें उसकी अदायगी करनी पड़ती है।

एक माननीय सदस्य:-राजस्थान में पी० डब्ल्यू० डी०.........

माननीय अध्यक्ष:-प्लीज आर्डर, आर्डर। नो इनफरमेशन प्लीज।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:-माननीय अध्यक्ष,.......

माननीय अध्यक्ष:- १५ मिनट का टाइम आप के लिए है।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:-बजट के ऊपर काफी लम्बी चौड़ी दोनों पक्षों की ओर से बहस हो चुकी है और जैसा कि प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष इस बजट से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसके अन्दर जो कहा गया है दोनों पक्षों की ओर से मैं समझता हूं, उनमें बहुत अन्तर है, जो कि स्वाभाविक है। अब जब कि जनतन्त्र की स्थापना के बाद हरेक भारतवासी के हृदय में यह भावना है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें, हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, उसकी इच्छा दिलों के अन्दर उठती है और बहुत सी चीजों में उसे कमी नजर आती है, उस तेजी से आगे बढ़ना नजर नहीं आता, उस तेज रफतार में कमी नजर आती है तो अपूर्णता का नजर आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम, जिन बातों को यहां

कहा गया है उन सारी बातों पर विचार करने लगते हैं, तब मेरे ख्याल, से हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो राजस्थान आज है और जिस राजस्थान को आज की सरकार या उसके पहले की सरकार को सौंपा गया वह राजस्थान एक ऐसा हाथी है जिसको खिलाने के लिए, जो सरकार कायम हुई है वह बन्धी हुई है, लेकिन वह उसकी गति से चल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी गति घोड़े के समान हो और उसकी मूल स्थिति उस हाथी के समान है जो कि इस सरकार को विरासत में मिला है।

फिर दूसरी बात जो मैं समझता हूं वह यह है कि किसी भी स्थिति पर विचार करें, तो हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हमारे यहां जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वह क्या है। सामन्ती राज्य को हम आज भी नहीं भूल सकते हैं। असल में आज भी कई हिस्सों पर सामन्तवाद मौजूद है। जहां पर यह प्रणाली मौजूद हो, उन प्रणालियों को सामने रखते हुए और फिर उन राज्यों की ओर जिनकी हमें व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन राज्यों के अन्दर, जहां से मैं आया हूं वहां आज से कुछ वर्षों के पहले करीब २५, ३० साल पहले इस तरह की कल्पना थी कि उद्योग खोलेंगे तो मजदूर मंहगे हो जायेंगे, रेलें बढ़ा दी जायेंगी तो हमारा सामान बाहर चला जायगा, मेवाड़ मैसूर की तरह आगे बढ़ सकता था। पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है।

मेवाड़ मैसूर की तरह आगे बढ़ सकता था। वहां पर कई मिनरल्स हैं। मगर वहां की आय सरकारी बजट पर आधारित है। यदि रेवन्यू कस्टम और अन्य टैक्स आदि की आमदनी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बजट पर विचार करते तो आपको मालूम होता। हमारे दृष्टि कोण में भेद हो सकता है। हमारे यहां बहुत से साथियों ने यह कहा कि पहले जो रियासतों से रुपया आया वह कहां गया। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि १९४६-४७ में जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी। वहां से, सिवाय मद के २ करोड़ ७० लाख रुपया जनहित के कार्यों पर खर्च किया जाता था जब कि इस समय जनता के हित के कामों पर ८ करोड़ २७ लाख रुपया खर्च किया जाता है। इस प्रकार तिगुना खर्चा बढ़ गया और यह करीब ६ करोड़ का घाटा पूरा होना चाहिये। इसके अलावा युनिफिकेशन आफ पे स्केल से सरकार को ९० लाख के करीब खर्च पड़ जावेगा और कम से कम, आपने देखा होगा कि कम से कम खर्च करें तो भी हमें यह तो खर्च करना ही होगा। जब हम इन सब बातों पर विचार करते हैं तो ऐसा नजर आता है कि बहुत सी बातें कही गई हैं वे आलोचना के लिये ही कही गई हैं। यदि हम किसी बड़े विषय पर निर्णय करने के लिये दो आदमी बैठें और साथ बैठ कर किसी विषय का निर्णय करें तो आप देखेंगे कि एक का दृष्टिकोण दूसरे से कितना भेद रखता है। और जो बजट दूसरों ने तैयार किये हैं उसमें परिवर्तन बताये जा सकते हैं। मेरे खयाल से राजप्रमुख के भाषण में जो बातें कही गई थीं उन्हें फिर यहां पर दोहराया गया है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि ये बातें इसलिये कही जाती हैं कि हम वापिस अपने अपने स्थानों पर जावेंगे और वहां के लोगों से वे लोग कहना चाहते हैं कि हमने अपने यहां की हालत सरकार से कही। सरकार ने उनको नोट की और

हमने अपनी बातें बहुत जोरदार शब्दों में सरकार के सामने कहीं। मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों ने सुझाव रखें हैं जिनका वास्तव में सब बातों को सामने रख कर विचार करते हैं तो उनका परिणाम दूसरा ही नजर आता है। मेरे कई मित्र कई और बातें भी कह गये हैं। एक मित्र ने यह कहा कि एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में जो लेट मन्त्री थे उन्होंने एक एग्रिकलचर पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेन्ट टू दी डाइरेक्टर आफ एग्रिकल्चर मुकर्रर कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि दर असल यह बात ठीक नहीं है। एक पोस्ट है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेन्ट टू दी डाईरेक्टर ऑफ एग्रिकलचर। वहां पर पहले भी एक नोन टेक्निकल आदमी था उनका मतलब शायद एस. के. व्यास से है। वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है न कि टेक्निकल पोस्ट। मगर मैं एक बात, इसके साथ साथ, यह भी कह देना चाहता हूं कि उनके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दूसरी बात एक और कही गई जिसकी कल्पना मैं खुद बहुत अर्से से कर रहा था। वह आज मेरे सामने आखिर आ ही गई और यह अच्छा हुआ। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि जो चीज अभी तक बाहर ही चल रही थी उसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिल गया। वह थी जोधपुर के नमक के ठेके के बारे में। मैं इस संबन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक नमक के बंटवारे का सवाल है करीब तीन साल से बराबर जोधपुर से शिकायतें आती रहीं। जिस वक्त साल भर पहिले इस प्रकार की शिकायत आई उस समय मैं सिविल सप्लाइज में था और उस वक्त यह शिकायत आई थी। हमने इन्टेरिम मेनेजमेंट किया कि किसको दिया जाना चाहिये और इसके लिये शिकायत है कि जिसको मिलना चाहिये, नहीं दिया गया। हमने इसके लिये ······

Shri Inder Nath Modi—I never suggested that it should be given to any particular individual but the persons of the Association to whom it was given did not deserve to get it

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:—किसी और व्यक्ति को दिया जाना था। पर मेरा मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दिया गया। वहां की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। इस पर विचार किया गया कि मुनाफे की दर क्या हो और उसको किस प्रकार तय किया जावे। हमने इसके लिये यह ठीक समझा कि भारत सरकार के साल्ट विभाग से जानकारी हासिल कर ली जावे। जब उनसे जानकारी हासिल की तो उन्होंने एक आदेश दिया। उस आदेश के प्राप्त होने के बाद सब जगह से अर्जियें मंगाई। सैकड़ों की तदाद में अर्जियें आई। मैं इसके बारे में कोई फैसला कर दूं, इससे मैंने यह उचित समझा कि कुछ अफसरों की कमेटी कायम की जावे जो इस संबन्ध में अपनी सिफारिश करे और हमने एक कमेटी निम्नलिखित तीन सदस्यों की मुकर्रर की:—

१. कमिश्नर सिविल सप्लाइज
२. एग्रिकल्चर सेक्रेट्री
३. ओ. एस. डी. सप्लाइ विभाग।

इस कमेटी ने अपनी सिफारिश की और उसके आधार पर हमने यह नियुक्ति की है। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि केवल उसी एसोसियेशन को दी गई। इसके अन्दर यह शर्त रखी गई थी कि····

"The Association promise to keep its membership open to all the salt dealers of the Jodhpur Division."

इसका मतलब कोई यह लेता है कि एक व्यक्ति विशेष को या संगठन को सारी चीज दे दी गई। यह बात जान बूझ कर भ्रम पैदा करने के लिये की जा रही है क्योंकि आगे के लिये गुंजायश····· ········हमेशा को निश्चित दर पर········

(चीअर्स)

Shri Inder Nath Modi -I think so far as the applications were invited it was definitely stated that only bonafide salt dealers should apply but I only said that the Association never consisted of bonafide salt dealers.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-मैं एक बात को आश्चर्य के साथ सुन रहा हूं; वह यह है कि पिछली बार आपने कहा कि एसोसिशन में एक व्यक्ति अवश्य बोनाफाइड डीलर हैं मगर आज आप उसको भी······

माननीय अध्यक्ष:-ओर्डर, ओर्डर

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-अब मैं इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। एक सवाल विरोधी दल के नेता की तरफ से भाकरा के बारे में उठाया गया। हमने इसके बारे में काफी प्रयत्न किये हैं। इस संवन्ध में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में आप स्वयं भी थे। उस समय यह निर्णय किया गया कि सारी योजना पार्टनरशिप के अधार पर हो जिससे हमारे यहां का इट्रिगेशन का हिस्सा बढे। मैं मानता हूं कि भाकरा बंध राजस्थान के लिये ऐसी चीज है जो इसको एक नई शक्ल में बदल सकता है। इसके सिवाय कई दूसरी बातें भी मेरे सुनने में आई। जैसे मंडल के बारे में कहा गया है। जहां तक मंडलों का सवाल है मैं इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं कहना चाहता। मगर मैं सिर्फ यह कहूंगा कि मंडल पर तो सिर्फ पांच लाख रुपया खर्च हुआ। इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उत्पन्न हो सकती है लेकिन जब हमें बजट पर विचार करना है तो हमें इसके लिये एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा बहुत सी बातें जो पहले हो गई उनको छोड़ कर हमें आगे बढना है। यहां पर यह कहना कि यह जो बजट बना है वह एक शहरी बजट है, बिलकुल गलत है। इसमें तालाबों की योजना है। बांधों की योजना है; उसमें चाहे चम्बल की नहर जाती हो। इसके अलावा दूसरे बहुत से कामों की योजनाएें हैं। प्राइमरी स्कूल जितने भी होते हैं वे आम तौर से देहातों के उपयोग के लिये

ही होते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों, जो कस्बों या राजधानियों में पहले से ही मौजूद थे उनमें कई लोगों की शिकायत है कि कमियां की गई हैं। ठीक है फिर भी सारी हालत को खयाल में रखते हुए बहुत सुधार करन के बारे में हमें प्रसन्नता रहेगी। इन बातों को रखते हुए हम आगे ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर सकेंगे। कुछ मित्रों ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया था कि ट्रेक्टरों के लिए तकाबी दी जाती है। इससे गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं।

माननीय अध्यक्ष:– टाइम इज गेटिंग अप (समय समाप्त हो रहा है)

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:– (अपना भाषण जारी रखते हुए) दो मिनट। तकाबी के लिए मैं अर्ज करता हूं कि जो यह कहा गया है कि ट्रेक्टरों के लिए तकाबी दी गई है इसमें काफी रुपया खर्च हुआ है इस वजह से अब तय किया जा चुका है कि ट्रेक्टर्स के लिये कोई तकाबी नहीं दी जाय; पंपिग सेट के लिए तकाबी दी जायगी। इससे छोटे लोग भी फायदा उठा सकेंगे। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय समाप्त हो रहा है इसलिये इतना ही कहकर स्थान ग्रहण करता हूं।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस के सामने मुझे दुबारा बोलने का अवसर मिला है। मैंने तारीख ७ को इस हाउस के सामने इस साल का बजट पेश किया था। उसके बाद मैं इस बजट पर चार रोज से लगातार सब माननीय सदस्यों की बहस सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं इस बहस के दौरान में बहुत से मुद्दे जो पैदा हो गये हैं उन पर सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की हैसियत से, प्रकाश डालना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की समस्याएं पेश की, जिनके उत्तर कई माननीय मंत्रियों ने अपने तकरीर के दौरान में इस हाउस के सामने, अध्यक्ष के जरिये, पेश किये हैं। सारे इन्डीवीज्युअल मेम्बर्स के जो सवाल थे उनका जवाब आइटम वार इस हाउस में पेश करने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं उन सब सवालों का जबाव पेश कर सकूं। मैं उन सारे मामलों पर रोशनी डालूंगा जो मामले, जो मुद्दे सब सदस्यों द्वारा बहस के दौरान में पेश किये गये।

सब से पहले इस सवाल का जबाब देना चाहूंगा कि जिसमें हाउस के माननीय सदस्यों ने इस बजट को कई नामों से पुकारा है। इस बजट के लिए कहा गया है कि यह पुलिस-बजट है, इस बजट के बारे में यह भी कहा गया कि यह सर्विस क्लास का बजट है, इस बजट के बारे में यह भी कहा गया है कि यह शहरी बजट है गांवों का बजट नहीं और इस बारे में यह भी कहा गया कि यह क्रान्तिकारी बजट नहीं। मैं उन सारे मुद्दों को जो इस हाउस के सामने रखें गये हैं यह कहना चाहता हूं कि एक दृष्टिकोण से सोचने से इन मुद्दों में कुछ में सत्यता है कुछ में असत्यता है। सोचने का दृष्टिकोण भिन्न २ होता है। उनके दृष्टिकोण से यह सही हो सकता है। जब उन्होंने हमारे पुलिस के आंकड़े देखे १९५१–५२ के तो उसका खर्चा २ करोड़ ५० लाख था, जबं १९५२–५३ का देखा तो उसमें ३० लाख की बढौतरी हुई। माननीय सदस्यों को यह मालूम हुआ होगा कि यह २० लाख की बढौतरी क्यों हुई? इसलिये उन्होंने इसे पुलिस का बजट कहना शुरू किया। एक तरह से यह सही है। इस तरह से जो पहला विचार

माननीय सदस्यों का ३० लाख की बढ़ोतरी का हुआ उससे यह तो वास्तव में पुलिस बजट बताया जा रहा है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री ने, जो हमारे हाउस के लीडर हैं, कुछ आंकडों पर प्रकाश डाला मैंने भी आंकड़े एकत्रित कराये । हमारे राजस्थान में पुलिस के जो आंकड़े बने हैं उनको बढाने की जरूरत क्या थी । मै इसलिये यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां अशान्ति का आतंक फैला हुआ था । राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था का ढांचा पिछले कुछ दिनों से काफी खराब हो रहा था । इसको जब हमने सोचा, विचार किया तो माननीय मुख्य मंत्री ने, जो पुलिस विभाग के भी मंत्री हैं हमारे सामने केबिनेट में सवाल पेश किया । उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि इन परिस्थितियों को मीट करने के लिए बजट के आंकड़े बढाना बहुत जरूरी है । इन सारी बातों को ध्यान में रख कर यह आंकड़े बढाये गये हैं । दूसरा दृष्टिकोण जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रांत में पुलिस के लिए जितना बजट है वह उतना ज्यादा नहीं, जितना दूसरे प्रान्तों का है । दूसरे प्रान्तों में हमारे प्रान्त से ज्यादा पुलिस पर खर्च किया जाता है । मैं हाउस की जानकारी के लिए कुछ प्रान्तों के आंकड़े रखना चाहता हूं:-

वेस्ट बंगाल में पर केपिटा पर हेड	२.३७.
पंजाब	२.१५.
मध्य भारत	१.१.९.५.
सौराष्ट्र	२.१.
राजस्थान	१.६०२.

इन आंकड़ों के देखने से हाउस आसानी से अन्दाजा लगा सकता है कि अब जो पुलिस का खर्चा हुआ है उतना ज्यादा नहीं । हमारे दिमाग में शंका पैदा हो जाय कि हम हमारे बजट को पुलिस बजट बनाने जा रहे हैं, यह तो समय की आवश्यकता थी ।

हमारे कर्तव्य की मांग थी जिसकी वजह से यह आंकड़ा हमको बढाना पड़ा । फिर भी हाउस की जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार का कोई यह उद्देश्य नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा इसके फिगर्स में बढ़ती की जाय । हम यहां की परिस्थिति को देखेंगे और यह देखेंगे कि हमारे इस हाउस के सदस्यों का हमें पूरा सहयोग प्राप्त है और हमारे यहां लॉ एंड ओर्डर की दशा सुधरने लगी है और सहयोग द्वारा पुलिस का काम कम कर दिया गया है तो हम यह नहीं चाहेंगे कि जबर्दस्ती पुलिस का आंकड़ा बढ़ा कर खर्चा ज्यादा करें । इसको पुलिस बजट कहना कहां तक सही है, यह मैं आपके फैसले पर छोड़ देता हूं ।

दूसरा पाइन्ट, जिस पर एतराज किया गया है वह यह है कि यह बजट स्टीरियो टाइप सर्विस क्लास का बनाया हुआ है । इसके लिये मैं यह समझता हूं कि हाउस का ख्याल इस संबंध में यह था कि आंकड़े सर्विस क्लास द्वारा जोड़े गये हैं । मैं यह मानता हूं कि आंकड़े तैयार करने वाले सर्विस क्लास के लोग थे । आंकड़ों के लिये मंत्रियों ने जोड़ बाकी का काम नहीं किया था । यदि उनका यही अर्थ है तो मैं मानता हूं कि

वह सही है और यदि वे यह कहते हैं कि मंत्रियों ने कुछ नहीं किया। जैसे आंकड़े उनके सामने नीचे वालों ने रखे वे ही बजट में सम्मिलित कर लिये गये हैं तो मैं कहूंगा कि उनकी धारणा गलत है। सवाल होता है पोलिसी का। जहां तक पोलिसी का सवाल है सरकार की तरफ से पूरी होशियारी से काम लिया गया है। जिस मद में कम करने थे उसमें कम किये गये और जिस मद में ज्यादा खर्च की आवश्यकता समझी गई उस मद के आंकड़े बढ़ाये गये और जहां फालतू खर्चा महसूस किया गया उसे निकाला गया। इसलिये सर्विस क्लास का स्टीरियो टाइप कहने का यदि यह मायना है कि मंत्रियों ने बिना देखे-सोचे आंखें बन्द करके जोड़ लगा दी तो मैं, माननीय अध्यक्षजी आपकी मारफत हाउस को तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि पूरा सोच विचार करके जितना थोड़ा समय हमारे पास था उसमें पूर्ति करके, पूरे संतोष के साथ हाउस के सामने हमने रखने का प्रयत्न और प्रयास किया।

यह भी आक्षेप लगाया गया है कि यह बजट शहरी बजट है। गांवों के लिये कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सामने परिस्थिति रखना चाहूंगा। वे हमारे इस राजस्थान के बनने के पूर्व की परिस्थितियों पर विचार करें। राजस्थान जिस समय बना उससे पहले २२ रियासतें छोटी मोटी मौजूद थीं। वे सब पुरानी रियासतें थीं जहां राजाओं का राज्य था। उन रियासतों में छोटी २ राजधानियें थीं। उनको बढ़ाने के लिये सब तरह की सुविधाएं देने में राजा लोग कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके केन्द्रों में हाई स्कूलें, डिग्री कालेज, बढ़िया सड़कें, बढ़िया अस्पताल आदि बनाने का प्रयत्न हमेशा किया जाता रहा। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उन पुराने ढांचे के शहरों के राजस्थान के पाइन्ट ओफ व्यू से सोचें। उन चीजों से छोटे छोटे कस्बों के बजाय बड़े बड़े शहर तो कायम नहीं कर रहे हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि छोटी छोटी रियासतों में कालेज नहीं चलाये जावें या हाई स्कूल नहीं चलाई जावें और उनके बजाय दूसरी जगह खोलदी जावें। आपकी यह मांग है कि हमको ज्यादा पैसा गांवों में खर्च करना चाहिये। मैं इस चीज को आसानी से समझ सकता हूं। यही भावना सरकार की भी है। उनका भी ज्यादा से ज्यादा इस ओर प्रयत्न है कि मौजूदा बजट में जो एग्जिसटिंग कमिटमेंट्स हैं उनको मीट आउट करते हुए जो फालतू खर्च हैं उन्हें बचाकर, जैसा कि बजट स्पीच में मैंने कहा था, आम जनता के फायदे के लिये प्रयत्न किया जायगा। इसलिये यह कहना कि यह शहरी बजट है ग्रामीणों का नहीं है, कहां तक उचित है यह सोचने की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि यह नामुमकिन बात थी कि सारी परिस्थितियों को टाल करके जैसा हाउस चाहता था कि जनतंत्र की पहली एसेम्बली में ऐसा बजट आयगा, वैसा आना नामुमकिन है।

श्री किशनलाल शाह:--In his budget speech the Hon'ble Finance Minister made a mention about the medical and educational facilities but I think they are mostly for urban areas and the villages have been entirely left. I would request that rural areas should not be lost sight of with regard to medical and education.

Will the Hon'ble Minister kindly let me know the ratio of expenditure in rural and urban areas.

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा—यह जैसा कि, सदस्य महोदय ने अपनी इन्फरमेशन के तौर पर जानने का सुझाव हाउस के सामने रखा है, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई सरकार की पोलिसी निर्धारित नहीं है ।

श्री किशनलाल शाह:—आई........

माननीय अध्यक्ष:—नो इन्टरप्शन प्लीज ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—इसलिये यह गलत है। ऐसी कोई पॉलिसी सरकार की नहीं है । इसको सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं; इसलिये मैंने यह जो बजट के बारे में जनरल सवाल किया गया था उसका जवाब ठीक तौर से और असली दृष्टीकोण से आपके सामने हाउस के सामने पेश किया गया है।

दूसरा जो खास चिन्ता का विषय हाउस के सामने बना हुआ था वह यह था कि जो अलग अलग रियासतें राजस्थान के बनने से पहले थीं उन्होंने १७ करोड़ रुपया राजस्थान को सौंपा था; वह रुपया इतना जल्दी राजस्थान सरकार द्वारा बिगाड़ दिया गया और फालतू बरबाद कर दिया । मैं माननीय सदस्यों से इस बात के लिये माफी चाहता हूं कि उनको इस बजट को देखने का समय थोड़ा मिला है और थोड़े समय में भी जो जगह जगह आंकड़े दिये गये हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उनको बहुत अच्छी तरह नहीं देखा गया है और इसी वजह से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी तकरीर में इस पाइन्ट को रेज किया है कि हमारे सभी रुपये सरकार ने बरबाद कर दिये और १७ करोड़ में से कुछ भी अब सरकार के पास नहीं है । इस पाइन्ट को मैं पूरा समझाने के लिये हाउस के सामने आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा क्यों कि मुझे वित्त मंत्री की हैसियत से आंकड़ों पर ज्यादा जोर देना चाहिये ।

श्री घोसीसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि यह पिछली बातें बताई जा रही हैं; लेकिन आगे जनता के लिए कितने बांध बांधे जायें, कितनी फैक्ट्रियां, उद्योग धन्धे खोले जायेंगे यह तो कहीं भी नहीं आया है। अपनी स्पीचों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कहते हैं।

(हियर-हियर)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं जो रिजर्व हमारे राजस्थान सरकार को मिला है उसके बारे में कुछ आंकड़े आपकी जानकारी के लिए पेश करना चाहूंगा । जब कि हमारा राजस्थान बना तो राजस्थान सरकार को सिक्योरिटिज, फिक्सडिपाजिट एवं पोस्टलसर्टीफिकेट्स के रूप में १५७९.७७ लाख मिले । स्टर्लिंग सिक्योरिटी १.७० लाख की मिली और शेयर्स जो सिक्योरिटीज में मिले वह २११.१३ लाख के हमको मिले । इसके बाद में जो

राजस्थान बनने के बाद में एडिशन किया, इस रिजर्व में, सिक्योरिटीज व फिक्स डिपाजिट से १.१२ का एडिशन किया और शेयर्स ५०.२१ का एडिशन किया है जिसका रेफरेंस मैंने अपनी स्पीच में पहले ही आपके सामने पेश किया था। इस तरह से एक और दो का जोड़ मिलाकर फिक्स डिपाजिट में १५८०.८९, स्टर्लिंग १.७०, शेयर्स के २६१.३९ यह रकम हमको यहां जमा के अन्दर मिली। इसके बाद नये २ आइटम्स पर यह सिक्योरिटीज कहां खर्च की वह आपकी जानकारी के लिए और देता हूं:–

ट्रांसफेर्ड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए कोन्सीक्युएन्स आफ फेडरल फाइनेंनशियल एग्रीमेंट के लिए सिक्योरिटीज जो देनी पड़ी (१०.३९ लाख ट्रस्ट फंडों के हिसाब मैंसे लेकर दी जिनका एवजा हिसाब में मुजरे दे दिया गया)	१७६.३९
हमको हमारा राजस्थान का खर्च चलाने के लिए जो सिक्योरिटीज काम में लानी पड़ी वह	१३७.५३

इस तरह से जो खर्च हुआ है वह है ३१३.९१ और आज हमारे पास १२७७.०७ लाख की सिक्योरिटीज फिक्स डिपोजिट (इसमें से १०.०९ लाख ट्रस्ट फण्डों के हिसाब के देने हैं)। स्टर्लिंग की १.७० और शेयर्स में १७५.४४ की सिक्योरिटीज हमारे पास में है।

अब मैं हाउस के सामने यह अर्ज करूंगा कि जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट वेल्यु क्या है और फेस वेल्यु क्या है। उसकी टोटल मार्केट वेल्यु तीनों तरह की सिक्योरिटीज को मिलाकर ११३४.३२ लाख की है। ट्रस्ट फंड जो हमें सरकार से मिले हैं उनकी गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज में और जो बाद में हमने एडिशन किया है उसका टोटल १०६.५५ लाख का है और फिक्सड डिपोजिट २५.५९ लाख है। पोस्टल सर्टीफिकेट वगैरह .७१ लाख का है और टोटल (कुल मिलाकर) १३२.९४ लाख का है।

इसके लिए मैं अब हाउस के सामने यह जो सिक्योरिटीज हमारे पास में है, उनके खर्च और ओवरड्राफ्ट एकाउन्ट, जो मैंने आपके सामने रखा है, बेंकों से वह कर्ज क्यों लिया, और उस कर्ज का पैसा कौन २ सी तारीखों को आया वह मैं हाउस के सामने रखता हूं। मैं यह अर्ज करूंगा कि जब हमने राजस्थान बनाया तो बहुत सी रियासतों में ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट पहले से ही मौजूद थे। यह ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट जो हमारी रियासतों के एकीकरण होने से हमारे सामने आये। ओवर ड्राफट अकाउन्ट की पोजिशन एक अप्रेल १९५० को किस प्रकार थी। ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट और दूसरे एकाउन्टों, टोटल (कुल मिलाकर) कितना था इससे आपको सारी स्थिति मालूम हो जायगी कि एक अप्रेल १९५१ को क्या था और १ अप्रेल १९५२ को हमारे ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट की पोजिशन क्या थी?

ग्रेन प्रोक्योरमेंट १ अप्रेल १९५० को	२०३.८५
दूसरे एकाउन्ट्स	३५२.९९ लाख

इस तरह से टोटल १ अप्रैल १९५० को ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट का टोटल ५५६.७८ था। १ अप्रैल १९५२ को:–

ग्रेन प्रोक्योरमेंट एकाउन्ट	१६३.०० लाख है

दस दी टोटल एकाउन्ट इज़ ९३२.११ । दिस इज दी टोटल फोर आल पोजिशन ।

Thus the total account is 932.11. This is the total for all position.

अब मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताऊंगा कि पुरानी स्टेटों से जब हमने राजस्थान का एकीकरण किया था तो उनका ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट यानी बैंकों से कितना खर्च लिया हुआ था । उन स्टेटों ने जिनसे कि हमें रिजर्व मिला था उनका बैंकों में ओवर ड्राफ्ट अकाउन्टस थे और वह ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट इस प्रकार थे:–

जयपुर गवर्नमेन्ट केपिटल एक्सपेंडिचर ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट	१९२.०१ लाख
जोधपुर बैंक का ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट	१७०.३४ लाख
राजस्थान यानी फॉर्मर राजस्थान जो था उसका ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट लगभग	४३.५७ लाख

इस तरह से ३५२.९२ का ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट यानी कर्ज के रूप में इन पुरानी रियासतों ने बैंकों से ड्रा किए हुए थे ।

अब मैं हाउस के सामने यह बताऊंगा कि राजस्थान बनने के बाद में ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट के हिसाब के अन्दर हमारी सरकार ने अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कितना कर्ज इन बैंकों से और लिया । उसकी पोजिशन इस प्रकार है:–

१९४९-५० में	४३.५७
१९५०-५१ में	१८५.५२ लाख
१९५१-५२ में	९६.६६

इस तरह से यह टोटल ३२५.७५ लाख है । इसके साथ में १७६.३९ लाख की वे सिक्योरिटीज हैं, ये भी एड कर ली जायं, जो कि हमने सेंट्रल गवर्नमेन्ट को फेडरल लायबलिटिज मीट करने के लिए दी थी ।

इसमें मैं हाउस की जानकारी के लिए जो अकाउन्ट ओवर ड्राफ्ट का राजस्थान बनने के बाद में हुआ उसमें से कैपिटल वर्क्स के लिए कितना खर्च किया वह आंकड़ें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि हाउस के सामने यह साफ हो जायगा कि हमने जो कर्ज के रूप में बैंकों से रुपया लिया है वह डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये ही खर्च नहीं किया था बल्कि अपने प्रान्त

की बढ़ौतरी और अच्छे कामों में लगाया है । वह फिगर मैं आपको बताऊंगा वह इस तरह हैं:–

१९५०-५१ में	२०० ७३ लाख
१९५१-५२ में	१६० ०१ लाख

इस तरह से हमने कैपिटल वर्क्स में ३६०.७१ लाख खर्च किया है । जो कर्ज आपने लिया है वह इस तरह से खर्च किया गया है । इन सारे आंकड़ों को देखने से...........

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–केन वी गेट ए लिस्ट ऑफ दीज केपिटल वर्क्स ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:– माननीय सदस्य ने सारे केपिटल वर्क्स की लिस्ट मांगी है, अगर वह बताऊंगा तो इस हाउस का समय बहुत लगेगा । यह सारे आंकड़े ५०-५१ के बजट में दिए गए हैं । और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वह किसी वक्त में आकर देख सकते हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–दे मे काइन्डली बी प्लेस्ड ओन दी टेबल ऑफ दी हाउस

माननीय अध्यक्ष:–दे विल बी प्लेस्ड ओन दी टेबल ऑफ दी हाउस

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं वह सूची आपके सामने पेश कर दूंगा ।

मैं अंत में इन सारे आंकड़ों को हाउस के सामने रखूंगा और जिन महानुभावों को इसमें ज्यादा इन्टरेस्ट हैं वे नोट फरमावें । परन्तु समय का विचार करते हुए इन सारी बातों को इतने में ही कहना चाहूंगा कि साढ़े तीन करोड़ रुपया इन पुरानी स्टेटों से ओवर ड्राफ्ट में यानी कर्ज में उन बैंकों के अन्दर मिला । तीन करोड़ का धान विभिन्न धान के स्टाकों के सेंटरों में है । दूसरे काम के लिए राजस्थान बनने के बाद सवा तीन करोड़ रुपया हमने बैंकों से लिया है जिसमें बहुत सा कैपिटल वर्क्स में खर्च किया गया है । इस तरह मैं आपसे, हाउस से, यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने राजस्थान बनने के बाद में जो खर्च किया, वह नष्ट किया यह बात बहुत अधिक सही नहीं थी । उन सारे राज्यों का ब्यौरा मैं हाउस के सामने पेश कर चुका हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए हाउस को यह बताना चाहता हूं कि इन आंकड़ों से हाउस को जरूर तसल्ली होगी ।

एक जो मद जो बहुत से माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में बताया, वह यह था कि राजस्थान बनने के पहले बहुत सी छोटी २ और मोटी २ रियासतें थीं । उनका बजट बहुत ही सरप्लस था । और राजस्थान बनने के बाद हमारे राजस्थान का बजट डेफिसिट क्यों बनाया गया । मैं इस बजट पर काफी डिटेल में सारी बातें इस हाउस के सामने रखना चाहूंगा । जब माननीय सदस्यों ने यह बात इस हाउस के सामने रखी तो उन्होंने बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण रख कर बहस की कि जब पहले बजट सरप्लस था तो अब डेफिसिट क्यों हो गया ।

इस स्टेटमेन्ट पर अगर हम गम्भीरता से सोचें और बजट के सारे आइटम्स,जो इस हाउस के सामने पेश हुए हैं, उन पर अगर गौर से विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पहले जोधपुर स्टेट का बजट तो बहुत ज्यादा डेफिसिट में था। उन्होंने हमको जो रिजर्व दिया था उनके खिलाफ भी बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज ड़ा कर रखा था। छोटी २ रियासतें थीं; यदि उनके बजट सरप्लस थे तो वे ऐसे बहुत से छोटे से आंकड़ों से सरप्लस थे। इसके बाद में जब नया राजस्थान बना तो हमको यह करना पड़ा कि नये २ जो आफिसर इस स्टेट में आये उनका इन्टिग्रेशन करना पड़ा। उस इन्टिग्रेशन में आफिसर्स की तनख्वाह यूनीफार्म ढंग से की गई और यह प्रयास किया गया कि हमारे आफिसर्स की तनख्वाहें भी बाहर के ए. अथवा बी. राज्यों के लेविल पर लाई जाय। मैं नहीं कहता कि उस लेविल पर अभी तक वे आगई हैं, मगर मैं इस हाउस की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि यह कहा गया है कि पहले ४० हाई कोर्ट जजेज् थे और ५०-६० मिनिस्टर्स थे तो भी उनका खर्चा होते हुए भी बजट सरप्लस थे तो वह घाटे में कैसे आ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत से आंकड़े आपके सामने रखूंगा उन तनख्वाहों के बढ़ने में वह डी.ए.,टी.ए. के अलाउन्सेस बनाने में सरकार को कम से कम ९० लाख खर्च करना पड़ा। अगर इसी आइटम को घाटे में ले लेते हैं तो उन पुराने अफसर और सर्विस क्लास के लोगों को इंटिग्रेट करने के लिए खर्च बढ़ाना पड़ा और अगर उन पुराने सारे अफसरों को इंटिग्रेशन के पहले जो पुराने रियासतों में उनको जो अलग २ रखा गया था वही दिया जाता और वह नहीं बढ़ाया जाता तो यह घाटे के ९० लाख रुपये इस एक आंकड़े में ही आ जाते; जो कि बजट के बैलेंस को देखते हुए नजर आता है। परन्तु इसी हाउस के दूसरे माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल इम्पार्शियल, आनेस्ट बनाया जाय, उनको बहूत अच्छी तरह का एक अच्छा ढंग दिया जाय जो बहुत सी रियासतें के अन्दर बहुत से अफसरों को प्राप्त हो। उन अफसरों को समान स्तर पर लाने के लिए यह ९० लाख का खर्च बढ़ा। यह खर्च उनकी तनख्वाह के रूप में एलाउन्स के रूप में और उनके टी.ए. वगैरह में जो बढोतरी का खर्च हुआ वह करीब २ बहुत सा लाजमी था। अगर हम सर्विसेज को एफिशियेन्ट आनेस्ट और दूसरे पार्ट ए. और बी. स्टेट के लेविल पर लाना चाहते हैं तो हमको यह खर्च करना बहुत ही अनिवार्य था।

इसक बाद में जो खर्चे का एक नया आइटम है जो कि हमारे राजस्थान बनने के बाद हुआ वह भी माननीय सदस्यों की नजर में आया होगा; वह है आर्म्ड फोर्स पर। यह आर्म्ड फोर्स बोर्डर ड्यूटीज के लिए खास तौर से काम में आती है। बहुत से सदस्यों ने कहा कि बोर्डर की रक्षा का खर्चा हम क्यों उठावें? वह तो सैंट्रल को उठाना चाहिए। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिए इस हाउस की जानकारी के लिए यह सूचना दूंगा कि केन्द्र से इस बारे में बातचीत चल रही है। अगर बोर्डर को मेंटेन करना सेंटर का फर्ज है तो यह भी एक अत्यन्त आवश्यक होगा। क्योंकि बोर्डर के पास में रहने वाले हमारे प्रान्त के आदमी हैं और इस प्रान्त की जनता है। उनको किसी तरह से लूटा जाय या उनको किसी तरह से अगर कोई खतरा हो तो उनकी जिम्मेदारी हमारे प्रान्त की सरकार की है।

इसलिए हमारे प्रान्त की सरकार को भी यह चिन्ता हो जाती है कि बोर्डर की जनता को सुरक्षित रखने के लिए प्रबन्ध किया जाए। चूंकि अब मिलिट्री फोर्स चली गई है तो यह व्यवस्था करनी पडी। और इस आर्म्ड फोर्स का खर्चा, आप ने बजट के आंकड़ों में देखा होगा कि १५० लाख का है। यह एक नया खर्चा राजस्थान बनने के बाद में पैदा हुआ जो एकदम नया था और पूरानी स्टेटों में इस तरह का कोई खर्चा नहीं था।

इसके बाद में मैं हाउस की जानकारी के लिए यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी मिलिट्री और फौजें जब केन्द्र में चली गई तो हमारी पुलिस में भी एक स्पेशल टाइप की आर्म्ड पुलिस फोर्स कायम करनी पड़ी जिसका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ा। उनका वर्दियों का, उनको मैकेनाइज करने का खर्चा इस पुलिस के आंकड़े के बजट में शामिल है और इस पुलिस को रेज करना हमारी इंटरनल सिक्युरिटी को ज्यादा अच्छी तरह से कायम रखने के लिए बहुत जरूरी था।

इसके अलावा जो खास खर्चा बढ़ा है और जिसके लिए अगर वही पुरानी सोशियल सर्विसेज और जो डेवलपमेन्ट सर्विसेज पुराने ढंग से होतीं और अगर हम उसको कायम रखते तो यह बजट कई करोड़ों से सरप्लस बनाया गया होता। मगर यह कहना कि सोशियल डेवलपमेन्ट सर्विसेज के आंकड़ों पर कोई खर्च नहीं किया गया तो मैं यह कहूंगा कि हाउस ने हमारे बजट को, या तो अच्छी तरह से नहीं देखा या उनको इसे देखने का समय नहीं मिला। मैं वे आंकड़े उनकी जानकारी के लिए बताऊंगा। छोटे २ अहलकार, पटवारी, फोर्थक्लास सर्वेंट्स, जूनियर क्लार्क्स; इनकी स्केल्स बढ़ाने के कारण आप लोग जो पुरानी स्टेट में थे थोड़ा बहुत कम्पैयर (मुकाबला) करेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान बनने के बाद यह खर्चा उस पुराने खर्च से कितना ज्यादा बढ़ा है। उसे देखकर आपको पता लगेगा कि राजस्थान बनने के बाद में इन लोगों के खर्चे पर कितनी बढ़ोतरी हुई है। फोर्थ क्लास सरवेन्टस को जयपुर में राजस्थान बनने के पहले ३२ रुपये मिलते थे अब उसे ४०-४५ मिलते हैं। जोधपुर में ३७-३९ मिलते थे अब ४०-४५ के बीच में मिलते हैं। पुराने राजस्थान में ३३-३५ मिलते थे वहां आज ४०-४५ मिलते हैं इसी तरह कोन्सटेबल को ३९-४४ मिलते थे वहां आज ४५-५० के बीच मिलते हैं। उसी प्रकार बीकानेर में ४२-५२ के बीच में मिलते थे अब ४५-५० के बीच में मिलते हैं। इसी प्रकार पटवारी को ३६-४६ के बीच मिलते थे वहां अब ६०-७० के बीच मिलते हैं। इस प्रकार ये आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स में हैं। पर मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर सूक्ष्म रूप से कुछ और आंकड़े बताता हूं। प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों को राजस्थान बनने से पहले ५२-८३ के बीच में मिलते थे उनको आज ६०-१०५ के बीच मैं मिलते हैं। जयपुर में उन्हे ६०-८० के बीच में मिलते थे अब उन्हें ७०-१०५ के दरमियान में तनख्वाहें मिलती हैं। ये थोड़े से आंकड़े मैंने आपके सामने आपकी जानकारी के लिये रखें है। उनमें जो बढोतरी हुई है यह फोर्थ क्लास में १) रु० से ८) रु० तक हुई है और कान्स्टेबल के ३) रु० से ६) रुपयों तक और दूसरों के लिये ६) तक व पटवारी की २९) रुपयों तक है। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की ३) रु० से २३) रु० तक और मेक्जीमम (उच्चतम) ३३) तक हुई है। जूनियर क्लार्कस के भी काफी

बढ़े हैं। ये आंकड़े देखने से आपको विदित होगा कि सर्विसेज आफ यूनिफिकेशन पे स्केल्स में सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा है।

अब में पुरानी रियासतों में जो सोशियल सर्विसेज हुआ करती थी उनके खर्चे के आंकडे भी आपके सामने रखूंगा और यदि आप उनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस पर भी हमारा खर्चा बहुत ज्यादा ब.ा है। मेरे पास काफी साल के आकड़े है। यदि आप इस पर गौर करेंगे तो आपको साफ रोशन होगा कि हमारे डेवलपमेंट और सोशियल सर्विसेज के खर्चे भी कम नहीं हुए हैं बल्कि बढे हैं। वे इन आकडों से वेरिफाई किये जा सकते हैं। मैं, इसमें खास खास विषय है उनके आंकडे ही हाउस के सामने रखूंगा। यह आंकडे मेरे पास १९४६-४७ से लेकर हैं; जो पुरानी छोटी छोटी रियासतें में थे। १९४६-४७ व १९४७-४८ व १९४८-४९ के आंकडे हैं पुरानी स्टेटों के हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और फोरमर (पूर्व) राजस्थान। इसमें मत्स्य के आंकडे १९४६-४७ व १९४७-४८ के नहीं हैं। तीसरे साल में यानि १९४८-४९ के आंकडे शामिल हैं और इस खर्चे के पेरेलल आंकडे सन् १९५२-५३ के मैंने आपके सामने इकट्ठे करके रखे है जिनसे आपको, इस हाउस को, सरकार का यह व्यू पोइन्ट कि सोशियल सरविसेज के लिए बहुत कम प्रोविजन किया गया है, भ्रम और गलत फहमी मिटाने के लिए, मालूम हो जायगा

	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९५२-५३
शिक्षा	८८·८७ लाख	१०४·४४	१५१·१५ सब के	२५०·००

अब आप इसका कम्पेरिजन करके देखें कि राजस्थान में सोशियल सर्विसेज़ में क्या खर्च बढा और किस तरह बढा और इस प्रगति को आप मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए संतोषजनक मानते हैं या नहीं।

मेडिकल और पब्लिक हैल्थ के लिये:-

१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९५२-५३
५९	६४·९८	९१·७९	१०७·५०

इसी प्रकार एग्रिकल्चर पर में आपकी जानकारी के लिये १९४८-४९ के आकडे बोलता हूं। पहले १९४८-४९ मे १२·९६
१९५२-५३ में १७·९१

इसी प्रकार वेटरनरी में:-

१९४८-४९ में ७·३४
१९५२-५३ में १२·७०

पी. डब्लू. डी. में:-

१९४८-४९ में १७८·७४
१९५२-५३ में २०१·५९

इरिगेशन में:—

१९४८–४९ में ११८
१९५२–५३ में २३८·०५

इसी प्रकार सिक्योरिटी, (सुरक्षा) आर्म्ड (सशस्त्र) पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) आदि के आंकडे मेरे पास मौजूद हैं। इसमें भी बहुत से आंकडे बढ़े हैं, घटे नहीं। जो आंकडे हमने रखे हैं इनसे साफ जाहिर होगा कि हमारा खर्चा सोशियल सर्विसेज (सामाजिक सेवा) और एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को ठीक करने में और मौजूदा अफसरों और कर्मचारियों की तन्ख्वाह बढ़ाने में बढ़ा है। एकीकरण से हमारी लाइबलीटी बहुत बढ़ी है और आमदनी ज्यादा नहीं बढी है। इस लिए हमारा बजट घाटे का बजट हैं। यह बजट का घाटा तभी पूरा होगा जब हम ९० लाख सर्विस क्लासेज़ के वेतन न बढा कर उन्हें पुराने पे स्केल से दे तो हमारा खर्चा इसी तरह बच सकता हैं और वह डेफिसिट नहीं होगा। सोशियल सर्विसेज.....

श्री किशनलाल शाह:-रयुरल और अर्बन एरियाज़ (ग्राम तथा नगर क्षेत्रों) में किस प्रोपोरशन (अनुपात) में खर्चा हुआ क्या माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डाल सकेंगे।

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा:--यदि इसी तरह से प्रोपोरशन (अनुपात) जगह जगह का निकाला जाय कि किस प्रान्त से कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ और हुआ तो किस प्रोपोर्शन (अनुपात) से तो मेरे ख्याल से किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) का काम नहीं चल सकेगा। यदि में इसके आंकड़े पेश भी करूं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा।

श्री किशनलाल शाह:—मैंने यह नहीं कहां कि आया यह बात संभव है या नहीं। मैंने तो सिर्फ यह कहा कि क्या आप आंकड़े बताने के लिये समर्थ हैं या नहीं।

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा:—ये आंकड़े में आपको अभी नहीं बता सकता। परन्तु आकड़े ऐसे नहीं हैं जो नहीं बताये जा सकते। सरकार उन्हें बता सकती है। में इसका जवाब दे कर बताने के लिये तैयार हूं; यह एक बिल्कुल छोटी सी बात है।

माननीय अध्यक्ष, अब में आपके जरिये उन पोइन्ट्स (बातों) पर आता हूं जो बहस के दौरान में सदस्यों द्वारा पैदा किय गये। वह यह ह कि हमारे प्रान्त का केन्द्र के साथ सम्बन्ध होने से, फेडरल इन्टीग्रेशन होने से हमारे प्रान्त को क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ ? यह पहले में हाउस के सामने रख देना चाहता हूं, तो हमारे माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि इसमें हमारी सरकार को हमारी प्रान्त की सरकार को एक तरह से ज्यादा फायदा हुआ ह।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Sir, my submission is that my Hon'ble friend is making out a new Speech. I would like to request the

Hon'ble Minister that while replying he should confine himself to the points raised against his budget Speech and not make out a new speech.

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–माननीय अध्यक्ष जी ,यह कोई नया पोइन्ट नहीं रखा गया है। ये सारी बातें बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने कही हैं; मेरे पास लिखित नोट्स हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–The gains and losses of our integration with the Central authority is absolutely a new point.

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–यह पोइन्ट साफ करने की जरूरत इस लिये पेश आयी कि माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि प्रान्त की सरकार केन्द्र की तरफ देख रही है कि कितना पैसा मिलने वाला है, हमेशा सेन्टर (केन्द्र) की मदद के लिए पैसे के लिए देखती है; यह सब माननीय सदस्यों ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा था । इन पोइन्ट्स को क्लियर (बात स्पष्ट) करना चाहता हूं । हमारी सरकार ने क्या लिया, क्या दिया इस जानकारी के लिए हाउस के सामने रखना चाहता हूं फिर भी यदि माननीय सदस्य के कहने के अनुसार यदि सदन की सम्मति हो तो मैं इस बात को नहीं कहूंगा ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–My learned friend has misunderstood me. Only those points which are relevant to the original speech should have been dealt with.

उपाध्यक्ष:–आप अपना भाषण जारी रखें ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–यह फेडरल फाइनेन्स इन्टीग्रेशन जो हमारे प्रान्त का हुआ उस वक्त में।प्रान्त की जो चीजें केन्द्र ने लीं उनमें एक रेलवे तथा दूसरी फौजें थीं । रेलवे और फौज जब केन्द्र ने हमारे पास से ले ली तो उनकी जितनी लाइबेलिटीज व असेट्स थे वे भी साथ ही साथ केन्द्र ने ले लिये और हमारे बहुत सी आमदनी के साधन और टेक्स जो हम लगा नहीं सके फेडरल इनकम टेक्स हमारे लगाने के पहले केन्द्र ने आमदनी के सीगे हमारे से ले लिये । मैं हाउस की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि १९४८-४९ जो समझौते का इयर (वर्ष) है उस वर्ष में केन्द्र ने हमारी फौजें ली । रेलवे की आमदनी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो फौजों का खर्चा था. वह बहुत कम था । उसको लेते हुए कम से कम ४५ लाख का फायदा केन्द्र को इसके जरिये प्राप्त हुआ । जब केन्द्र ने यह देखा कि ४५ लाख का फायदा प्रान्त को मिल रहा है तो वह हमारी रेलवे और फौजों को लेकर यह पाइन्ट रेज (उठाया) किया कि पुरानी रियासतों का सिविल लिस्ट का जो खर्चा है आगे से वे बरदाश्त करने जा रहे हैं । इस साल उन्हें ४५ लाख का फायदा हो रहा है। सिविल लिस्ट को मीट आउट करने के लिए हमारे साथ में यह शर्त रखी कि

५०–५१ में इस प्रान्त के राजाओं को खर्चा चुकाने के लिए ४० लाख रुपया पांच साल में, ८ लाख सालाना के हिसाब से, देना पड़ेगा । सन् १९५५-५६ में हमारे प्रान्त की सरकार को कुछ नहीं देना पड़ेगा और हिसाब बिल्कुल साफ हो जायगा ।

मैं अर्ज करूंगा कि फेडरल फाइनेन्स इन्टीग्रेशन से जैसा फायदा हमारे प्रान्त को होना चाहिये था वैसा नहीं हो सका । उसका दोष हम हमारी प्रान्त की सरकार राजस्थान सरकार को नहीं दे सकते । इसका दोष है हमारे पुरानी रियासतों के राजाओं का, जिन्होंने अपनी अदूरदर्शिता के कारण प्रान्त के हित को नहीं सोचा अब प्रान्त के हित में सारी बातें सोचकर, जैसा कि बहुत से लोगों ने सोच लिया था विधान पास होकर, एक फेडरल लॉं बनने जा रहा है । तो अपने आरमी का खर्चा घटाया और आरमी के खर्चे को घटाकर बहुत दूसरे आमदनी के जरिये थे, उनको पैदा किये । इनकम टैक्स अवोइड किया गया । जो हमारी जोधपुर रियासत में आरमी की तादाद बढ़ायी गयी शुरू में आरमी को बढ़ाकर तीन चार महीने बाद फौजों का इन्टीग्रेशन हुआ। फौजियों को घर जाना पड़ा; डिस्बेन्ड होने के बाद में । पेन्शन मिलती थी वे एक दफा भरती हो गये; बाद में डिस्बेन्ड कर दिया गया । उनकी पेन्शन कायम है। आज फौजी भाइयों का प्रोबलम बना हुआ है । वह भी हमारे पुराने नरेशों की अदूरदर्शिता का परिणाम है । दूसरे स्टेट आरमी का खर्चा घटाकर के दूसरे टेक्स के रूप में लेकर फेडरल फाइनेन्स के जरिये हमारे यहां के दूसरे तरह के प्रयत्न जारी थे । यह दूरदर्शिता नहीं होने से इस समझौते में नुक्सान उठाना पड़ा । वह समझौता हमारे लिए ठीक ढंग से नहीं हो सका । इसी कारण फौजी भाइयों का प्रोबलम बना हुआ है। इस लिए अरज करूंगा कि राजस्थान सरकार से जहां तक बन सका है इस में सहानुभूति पूर्वक और शीघ्र से शीघ्र सुलझाने की कोशिस की है। वे हमेशा इसके लिए कोशिस करने को तैयार हैं । पेन्शन के विषयमें हाउस की जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि हमने पेन्शन के जो २७३७ मुकद्दमे थे उनमें से २३३८ बिल्कुल फैसल कर निपटाये जा चुके हैं । बाकी के केसेज को निपटाने के लिए हाल ही में एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की गई है; इससे पेन्शन के केसेज बहुत आसानी से सुलझ सकेंगे ।

इन्कमटैक्स के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे प्रान्त में यह टैक्स ही लागू नहीं था, सिवाय एक दो स्थानों के। इन्कम टैक्स केन्द्र की आमदनी का सीगा बन गया है। पहले टैक्स नहीं होने की वजह से इसकी रेट (दर) वह नहीं है जो दूसरे प्रान्तों में हैं और इसलिये हमें ५० प्रतिशत इस सीगे के केन्द्र से जो मिलते हैं वे इस साल साढ़ा तेरह लाख रुपयों के करीब मिलेंगे; जिसका प्रोविजन इस बजट (आय-व्ययक) में दिया है; यह में इन्कम टैक्स के बारे में जानकारी आप के सामने रखता हूं ।

जो एक जनरल मसला बहस के दौरान में पैदा हुआ था और जिसका जवाब देना इस हाउस के सदस्यों के सामने लाजमी समझता हूं वह यह है कि

केन्द्र से पंचवर्षीय योजना के लिये दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमको कम सहायता मिली है। इसका दोष मंढते हैं सरकार पर क्योंकि उसने उतनी कोशिस नहीं की जितनी कि उसको करनी चाहिये थी। इसके लिये फिगर्स कोट (अंक बतलाये) किये हैं। हमारे राजस्थान के पर केपिटा (प्रति व्यक्ति) आठ रुपये के हिसाब से यह सहायता मिली है और दूसरे प्रान्तों को पर केपिटा (प्रति व्यक्ति) ३७ रु० मिले हैं। इस के बारे में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अब तक पंचवर्षीय योजना के संबंध में केन्द्र ने सहायता के लिये, जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े किसी भी प्रान्त के प्रति फाइनल (अन्तिम) नहीं हैं और राजस्थान के लिये जो १५.२ करोड़ का आंकड़ा बताया गया है वह भी फाईनल नहीं है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिये यह पेश करना चाहता हूं कि हम जो कोई भी बात कहें उससे पहले यह तो जानलें कि पंचवर्षीय योजना में केन्द्र से जो मदद मिलती है उसका बेसिस (आधार) क्या है। इस तरह की सहायता देने का भी कुछ आधार है इस तरह की मौजूदा परिस्थिति में हमारे प्रान्त में डेवलपमेन्ट की स्कीमों (विकास की योजनाओं) पर कितना खर्च हो रहा है हमने जो योजनाएं बनाकर केन्द्र के पास भेजी हैं उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेन्स क्या है। इस सम्बन्ध में मैं तीन पोइन्टस (बातें) निवेदन करता हूं वे यह हैं कि हम हमारे प्रान्त में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। यह पहला कंसीड्रेशन किया जाता है और आप बजट को देखेंगे तो आप मानेंगे कि हमारे पास ऐसी योजना पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं है। हमें कबूल करना पड़ा कि इसे मीट आउट (पूरा) करने के लिये राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। यह सच्ची बात थी जिसे किसी भी सरकार को मंजूर करना पड़ता। इस संबंध में दूसरी बात प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) से सहायता पाने के बारे में यह हैं कि प्रान्त जनरल स्टेन्डर्ड में दूसरों के साथ कहां स्टेन्ड करता है। इसमें राजस्थान का सबसे पीछे स्टेन्ड करता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–देअरफोर वी डिजर्व मोर देन अदर्स एन्ड नोट लेस (इसलिये हम दूसरों से अधिक पाने के हकदार हैं न की कम पाने के)

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा:–हम इन सब में पिछड़े हुए हैं कुछ नहीं कर सकते मौजूदा स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास पैसा नही है। सहायता कितनी देना, कतनी न देना; यह केन्द्र के हाथ की बात है जोर जबरन आप कुछ नहीं कह सकते। जितनी मजबूती से अपनी मांग रखनी चाहिये थी उतनी मजबूती से रखी गई है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Therefore, I should like to impress upon the Hon'ble Finance Minister that he should make out as strong a case as possible and should not feel so pessimistic.

If you are prepared to take us in your confidence we shall place our resources, mental and moral, at your disposal.

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा:—मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं पेसिमिज्म (निराशावाद)को फोलो (आनुसरण) नहीं करता हूं लेकिन जो जरूरी बन गया हैं उसको बढाना न तो मेरे और न इस हाउस के हाथकी बात हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--I do not think the planning Commission has accepted the Chambal plan so far.

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बता दूं कि प्लानिंग कमीशन ने खुद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हैं कि यह जो एलोटमेन्ट किया जा रहा है वह बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं है, यह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं माफ करेंगे यह अंग्रेजी में हे मै इसे पढ़कर सुनाता हूं ।

"The dimensions of the state plans do not by themselves give an adequate picture of the regional distribution of the outlay in the five year plan. Account must also be taken of the development expenditure covered in the plans of the Central Government, particularly in respect of irrigation and power projects and rehabilitation of displaced persons. States like Punjab, West Bengal, Bihar, Orissa, Rajasthan and Pepsu will thus receive a greater share of the development expenditure in the Plan than would appear from the above table."

यह उन्होंने खुद ने ही कहा है कि ये फिगर्स फाइनल नहीं है । मैं खुद कहता हूं कि हमारे बातचीत चल रही है और इस हाउस की आवाज को स्वीकार करने के लिये कमीशन के सामने मांग रखेंगे कि इन फिगर्स को रिवाइज किया जाय । ज्यादा शेअर लेने के लिये हम भरसक प्रयत्न करेंगे ।

"इसके अलावा हाउस की जानकारी के लिये मै यह भी अर्ज करूंगा कि यहां जो आंकड़े प्लानिंग हेल्प (योजना सहायता) के लिये हमारे प्रान्त की सरकार को १५.२ करोड के दिये गये हैं उसके अलावा भाकरा और चंबल प्रोजेक्टस का काम भी केन्द्र की ओर से चालू कर रखा है ।

यह आकड़े जो १५.२ करोड के है जिनको कि बहुत कम बता रहे है लोन के खर्चे के हैं । केन्द्र हमारी मदद के लिए तैयार है । वह कह सकते हैं कि अभी तक उसने कहीं भी ऐसा नहीं किया है । चम्बल और भाखरा के लिए जो कुछ रुपया उन्होंने खर्च करने के लिए रखा है वह डेवलपमेंट की स्कीम (विकास की योजना) अलावा हमारे लिए खर्च किया जा रहा है

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—ओन ए पोइन्ट आफ इन्फोरमेशन सर, । आई डोंट थिंक दी प्लानिंग कमीशन एक्सेपेड दी चम्बल प्लान सो फार । (मेरा ऐसा अनुमान है कि योजना आयोग नें अभी तक चम्बल योजना को स्वीकार नहीं किया हैं ।)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि वह प्लान फाइनल्ली एप्रुव्ड (योजना अन्तिम रूप से अनुमोदित)

हो चुका है ,उसकी सर्वे हो रही है । उसके लिए भी हमने बजट में प्रोविजन (व्यवस्था) रखा है और वह लोन ऋण देने के लिए वायदा कर चुके हैं ।

अब मैं हाउस के सामने टैक्सेशन स्ट्रक्चर (करारोपण का ढांचा) जो हमारे प्रान्त का है 'जिसके लिए बहुत से सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं' उनके जबाव में मैं एक एक पोइंट को रेफर करने की कोशिश करूंगा । मेरी जो पहली स्पीच हुई थी यानी जो पहला भाषण हाउस के समक्ष हुआ था उसमें इस बात को कबूल किया था कि हमारे राजस्थान का जो टेक्सेशन स्ट्रक्चर (करारोपण का ढांचा) है, वह हमारे प्रान्त की स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा है और मैं इस बात को अब भी कबूल करता हूं । मगर मैं आपसे, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि टैक्शेसन के तीन डिफरेंट लेविलस हैं ।

१. फेडरल टैक्सेशन
२. स्टेट टैक्शेसन
३. लोकल बोडीज टैक्सेशन

अगर इन तीनों लेविल्स (कोटियां) पर हमारे प्रान्त के टेक्सेशन स्ट्रक्चर (करारोपण के ढांचे) को देखें तो इन दोनों लेविल्स (पहला और तीसरा) पर हमारे टेक्सेशन जो हैं वह कम हैं । और इस बीच के स्टेट लेविल पर हमारे टेक्सेशन बहुत ज्यादा है । यह बात अगर हम इन तीनों के आकड़ों को मिलाकर देखते हैं तो हमारे प्रान्त का जो टेक्सेशन फिगर (करारोपए के आकड़े) है वह दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा नहीं है, बल्कि कम है । इसलिए माननीय सदस्यों के मन में यह चिन्ता न हो कि यह टेक्सेशन (कर) ज्यादा है, चिन्ता पैदा करने जैसा कि आपने पहले कहा है, की बात, हाउस के सामने कहूंगा कि गैर वाजिबसी है । माननीय सदस्य यदि ऐसा विचार नहीं बनाते तो कोई बुरी बात नहीं थी । जो बात सच थी वह मैंने छुपाई नहीं है, सही तरीके से ईमानदारी के साथ मैंने इसे रखने की कोशिश की है।

इसके साथ में टेक्सेशन स्ट्रक्चर के साथ में जो बातें कही गई थीं व मोटरों पर टेक्सेशन के बारे में भी थी उनके बारे में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कुछ कहा था और उसे मैं डिटेल में हाउस की जानकारी के लिए भी बतला सकता हूं । मद्रास में ३० सीट की बस पर जो टेक्स है वह ३६००) रु० है । टेक्सेशन इंक्वायरी कमेटी (करारोपण जांच समिति) ने जो रिपोर्ट की है उसमें २२८०) रुपया रिकमंड किया है और हमारे प्रान्त में सिर्फ ६००) रुपया है । गेस वेहिकल्स के बारे में जो पाइंट माननीय अपोजिशन के नेता ने रेज किया था कि दो हजार रुपये एक गाड़ी पर टेक्सेशन (कर के) लिया जाता है तो मैं हाउस की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान में दो हजार रुपये उसी लोड गाड़ी पर है जिसको सारे राजस्थान में घूमने का लाइसेंस हासिल है । वह सारे राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। मगर हाउस से मैं अर्ज करूंगा कि एक भी ऐसा लाइसेंस हमारे यहां से राजस्थान में किसी गाड़ी वाले के पास नहीं है और

न हमारी यह कोई पालिसी ही है। राजस्थान में यह एक मिनीमम (निम्नतम) प्रोविजन (व्यवस्था) मोटर टेक्सेशन के लिए है। लोड लारियां हैं जिनकी केपेसिटी (क्षमता) तीन टन की है उन पर टेक्स इस तरह से है:-

मद्रास में	१४४०) रुपया
टेक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने जो रिकमंड किया	९००) रुपया

हमारे राजस्थान में इन लोड लारियों को दो भागों में बांटा गया है; एक आम भाड़े की और दूसरी प्राइवेट आनर्स की। आम भाड़े की गाडियों से जो टेक्स लिया जाता है वह १०००) रु० ह और प्राइवेट लोड लारियाँ हैं उनका टेक्स ६००) रु० । इस तरह का डिस्टिंगशन (विभिन्नता) न मद्रास में है और न टेक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की (करारोपण जांच समिति) की रिपोर्ट में ही। हम उस टेक्स (कर) में ऐसा डिस्टिंगशन (विभिन्नता) नहीं रखना चाहते हैं और दूसरे टेक्सेज के बारे में भी अगर आप यह चाहें कि यह इंक्वायरी कमेटी की (जांच समिति की) रिपोर्ट के माफिक होना चाहिए तो ऐसा करने में मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे इस टेक्सेशन को बदलने में संतोष ही होगा। मोटरों का बिजनेस करने वालों के साथ जो हाउस के मेम्बरों ने हमदर्दी दिखाई है और यह बताने की कोशिश की कि सरकार उनसे बहुत ज्यादा कर ले रही है और बहुत ज्यादा टेक्स (कर) उनके उपर है तो ऐसा मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों का ख्याल, कोई ज्यादा इन आकड़ों को ध्यान में रखते हुए, सही नहीं है।

एग्रिकल्चर इनकमटेक्स (कृषि आय कर) के इंन्सीडेंस के बारे में भी इस हाउस में बातचीत हुई, बहस हुई। उसके साथ में बहुत से माननीय सदस्यों से किसानों के साथ में बहुत सहानुभूति दिखाई। यह भी कहा कि हम इन्कमटेक्स (आय कर) की वजह से कई किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके जरिए इस हाउस के सामने यह बताना चाहूंगा कि टेक्सेशन जो लगाया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका इंसीडेन्स किस पर पड़ता है और इस एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स का इंसीडेन्स जिन लोगों पर पड़ता है वह इस हाउस में भी महसूस करते हैं कि वह इंसीडेन्स सही जगह पर पड़ेगा; उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी देने की केपेसिटी है। जिन लोगों की टेक्स देने की केपेसिटी हो यदि उन पर कोई टेक्स लगाया जाय और वह टेक्स कोई खास किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए न हों और वह हमारे खजाने में इकट्ठा होता हो, जिससे हमारी सरकार अच्छे २ कामों को कर सके तो वह एग्रिकल्चर इन्कमटेक्स बिलकुल ठीक है। वह इस जमाने में लगा है।

इसके साथ ही साथ स्टाम्प रजिस्ट्रेशन टेक्स के बारे में माननीय सदस्यों ने अभी २ कुछ जानने की इच्छा प्रकट की थी; उसके लिए मैं आप से अर्ज करूंगा कि स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन टेक्स जो अभी हाल में ही राजस्थान में लागू किया गया था वह हमारे राजस्थान के दूसरे यूनिटों के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन

एक्टों को युनिफोर्मिटी में लाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है वह जयपुर राज्य के बेसिस पर बना है। जो बेसिस रिकमंड हुई थी वह जयपुर राज्य में जो रेट्स थीं वह अपने दूसरे पार्ट्स ए० व पार्ट बी० स्टेटों से कम है। इसलिए इसको अगर हाउस के सामने लाने की जरूरत समझी जायगी तो दूसरी स्टेटों के समान करने के लिए हाउस के सामने लाया जायगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I challenge. The Incidence of the Tax is much lower even in most of the Part A States.

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं इस बात को बहस में इस वक्त, माननीय अध्यक्षजी हाउस के सामने नहीं लाना चाहूंगा। बहुत सी स्टेटों (राज्यों) में कम है या ज्यादा यह जानना चाहेंगे तो इसके आंकड़े तैयार कर दूंगा कि कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है।

इसके बाद में एक बहुत बड़ा यह आरोप जो सरकार पर हाउस के माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया था कि खाद्यान्न को सरकार ने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रखा है और वह सड़ रहा है; कई जगह बर्बाद हो रहा है, सरकार का पैसा रुका हुआ पड़ा है। इसके लिए मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके जरिए, माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहूंगा कि It is easy to be wise after the thing has passed. (जब कोई मौका निकल जाता है तो उसके बाद में हर कोई सुविधाओं की बातें कहने लग जाता है।) आज कुछ सुविधायें बढ़ गई हैं, खाद्यान्न के भाव भी कुछ गिर गए हैं। खाद्यान्नों की समस्या उतनी नहीं रही जितनी पहले थी; परन्तु एक सरकार को सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। यह सोचकर कि हमेशा ही ठीक रहेगा ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए धान का स्टाक करना सरकार के लिए जरूरी था। अगर गल्ले की परिस्थिति इस तरह चालू रहती, यह स्लम्प नहीं आता तो आज आफटेक (उठाया जाना) हमारे धान का बहुत ज्यादा होता। यदि धान हमारे कोठारों में नहीं होता तो सब लोग हल्ला मचाते कि हम लोगों को धान नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं, अध्यक्षजी, आपके जरिये कह कहूंगा कि अब यह बात आसानी से कही जा सकती है कि प्रोक्योरमेन्ट स्टाफ (समाहार संग्रह) फालतू है, महकमे को भी तोड़ दिया जाना चाहिए, धान बहुत ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है; यह सारी बातें अभी की कुछ स्थिति ने की है। मैं इस हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सप्लाई के महकमे में जो स्टाक पड़ा हुआ है जहां तक कम किया जा सकता है कम किए जाने की कोशिश की जायगी। सरकार से जितनी भी कोशिश की जायगी वह प्रयत्न सरकार करेगी। प्रोक्योरमेंट स्टॉक (समाहार संग्रह) में भी और प्रोक्योरमेंट कितना करना चाहिए, किनसे करना चाहिए, उन सब में पुरानी पालिसी (नीति) में मोडीफिकेशन (संशोधन) हो सकेगा और जो फालतू खर्चा है, मैं हाउस (सदन) को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी महकमे में फालतू खर्चा नहीं

किया जायगा । मैं हाउस के सामने मंजूर करता हूं कि कई जगह धान खराब हो जाता है। उसके खराब होने के कारण यह है कि हमारे पास बराबर स्टोरेज की फेसेलिटीज (संग्रह की सुविधायें) जैसी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा क्वांन्टिटि (मिकदार) में धान का स्टाक करन की होनी चाहिए, वह नहीं है।

इसके बाद में कई माननीय सदस्यों ने मंडलों के खर्चे के बारे में कई बातें कही थीं। एक हमारे माननीय मित्र ने तो यहां तक कह डाला कि इस सिलसिले में करोड़ों रुपये बर्बाद कर डाले। उन मंडलों के लिए मैं हाउस के सामने यह बात रखूं कि सिर्फ पांच लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इस पांच लाख के खर्चे में मैं हाउस के माननीय सदस्यों के सामने यह बात पेश करना चाहूंगा कि कुछ रकमें बहुत अच्छे कामों में जैसे हरिजन, बेकवर्ड क्लासेज और किसानों के बहुत से लड़कों को स्कालरशिप इसमें से दिए गए थे। वह बहुत ही अच्छा कार्य था। एक किसान बोर्ड जिसका मैं भी मेम्बर था उसमें करीब एक लाख रुपया पढ़ाई के लिए दिया गया था। तो यह पांच लाख रुपये जो भी खर्च हुए हैं वह बिलकुल बर्बाद हुए हों ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इनमें बहुत से व्यय बहुत ठीक काम पर हुए थे। थोड़े बहुत रेडियो जरूर खरीदे गए थे, वे रेडियों, मैं हाउस की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि बाद में बेच भी दिए गए थे और वह रकम वापस सरकार में जमा भी कर ली गई थी।

कई एक माननीय सदस्यों ने कांस्टीट्यूएंसीज़ (निर्वाचन क्षेत्र) के लिए कहा है। उनकी समस्याओं के बारे में बहुतसों की बहस सुनी। कइयों ने करौली के लिए कहा, कइयों ने गंगानगर के बारे में कहा। उनके लिए उन्होंने यहां तक कहा कि इस तरह हमसे ज्यादा टेक्स लिया जाता और हमारे पर खर्च बहुत कम किया जाता है। इन सब का जवाब माननीय लीडर (नेता) महोदय ने अपने थोड़े से शब्दों में दिया था, परन्तु फिर भी मैं इस हाउस के सामने रखूंगा कि फाइनेंस का स्ट्रक्चर (अर्थ का ढांचा) जिन प्रान्तों का एक होता है वह कभी भी इन छोटी २ भावनाओं से फाइनेंस का स्ट्रेक्चर (अर्थ का ढांचा) नहीं बनाती। प्रत्येक कांस्टीट्यूएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) से कितनी आमदनी होती है और कितना खर्च होता है अगर इसी बेसिस (आधार) पर हम फाइनेंशियल स्ट्रेक्चर (आर्थिक ढांचे) बनाकर चलें ....

(माननीय अध्यक्ष ने १२.२० पर पुन: आसन ग्रहण किया)

तो बहुत से इलाकों में जहां एक पैसे की भी आमदनी नहीं होती है वहां पर गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेन्ट (विकाश कार्य) नहीं कर सकेगी। वहां स्कूलें नहीं खुलेंगी, वहां सड़कें नहीं बनेगी, वहां पर कुए नहीं खोदे जा सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए हाउस के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बातें सही हैं वे ही सामने रखी गई हैं। इस दृष्टिकोण से बजट के आंकड़े बनाने में लाचार था कि यदि किसी जगह खास तौर से ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए हम वहां ज्यादा खर्च करें; यह नहीं हो सकता। लेकिन प्रान्त की दृष्टि से जितना रुपया जहां पर ज्यादा खर्च करने की जरुरत थी वहां वैसा ही प्रोविजन किया गया है।

इसके बाद में मैं इस बहस को ज्यादा लम्बी न करके मेरे महकमे फाइनेन्स के साथ शिक्षा का जो महकमा है उसके बारे में कुछ कहूंगा। उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली ज्यों कि त्यों है; कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है, वही पुराना ढांचा चला आ रहा है। मैं आपके जरिए इस हाउस की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि अभी जो नये सिलेबस (पाठ्यक्रम) बन कर तैयार हुए हैं उनमें उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है जो कि भारत सरकार के एडवाईजरी बोर्ड (सलाहकार मंडल) को अभी हाल की मीटिंग में मंजूर हुए थे और बहुत सी बातें निर्धारित की गई थीं। उस एडवाईजरी बोर्ड (सलाहकार मंडल) की जितनी भी सारी पालिसीज (नीति) हैं वह इस सिलेबस में जो कि एक छोटी सी क्लास से लेकर ८ वीं क्लास तक के लड़के के लिए नया बन रहा है उन सारी बातों को लेकर तैयार किया जा रहा है। उसके मुताबिक पाठ्यक्रम बनने वाला है। वह आगे के साल से हमारे प्रान्त में लागू होने वाला है। इसलिए यह कहना कि कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है वैसा का वैसा ही चला आ रहा है, यह बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म (आलोचना) नहीं है। इस महकमें के लिए एडल्ट एज्युकेशन (वयस्क शिक्षा) के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में यह रोष दिखलाया कि यह पैसा फालतू बर्बाद हो रहा है। इसके लिए पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने यह बात भी कही थी कि यह आन्दोलन होता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और बच्चे, बूढे, स्त्रियों, पुरुषों में इस प्रेरणा को पैदा करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें बहुत ज्यादा पैसा स्टेट का ऐसे मूवमेंट में खर्च करना चाहिए, ऐसे मूवमेंटस् में (आन्दोलन) हमारे माननीय सदस्यों को, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और इस जागृति को पैदा करने के लिए, करना चाहिए। एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ शिक्षा) के बारे में मैं मान सकता हूं कि जितना काम जिस स्टेट पर होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जितना भी पैसे का खर्च हो रहा है और आगे भी खर्च करने का प्रोविजन (व्यवस्था) सरकार ने रखा है उसके लिए मैं इस हाउस के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस पैसे से ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के लोगों को शिक्षित बनाने के काम में लाया जायगा।

एक बात जो हमारी सभा के विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण में कही थी वह यह थी कि बहुत से आदमियों को, स्कालर्स को, पढने के लिए भेजा जाता है। उन आदमियों को एब्जोर्ब नहीं किया जाता है। मैं हाउस की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े यहां पेश कर देना चाहता हूं। आज तक कुल ४५ स्कालर्स बाहर पढने के लिए भेजे गये थे जिनमें से ३६ वापस लौट कर आ गये हैं। और जिसमें से २७ को काम पर ठीक तरह से लगाया जा चुका है। बाकी के जो बचे हैं उनको भी पूरी तौर से जल्दी से जल्दी एब्जोर्ब (नौकर) कराने की व्यवस्था की जा रही है। आजकल सर्विसेज क्लास (सेवा वर्ग) का रिक्रूटमेंट जो होता है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होता है। सरकार उनको नियुक्त नहीं कर सकती। पब्लिक सर्विस कमीशन जब उनका सिलेक्शन (पसन्दगी) कर लेगा तब उनको भी जल्दी से जल्दी काम पर लगाये जाने की व्यवस्था की जायगी।

इसके अलावा दो चार माननीय सदस्यों ने कई बातें अपने तकरीरों के दौरान में रखी थीं कि बहुतसी स्कूलों के मकानात अधूरे पड़े हुए हैं, बहुत से मकान गिर रहे हैं। उनके बारे में मैं इन सारे चार्जेज (आरोपों) को जो लगाए गए हैं मंजूर करता हूं। (हीयर हीयर) जैसी स्कूलों की हालत हो रही है इसका कारण आपके सामने है। अगर आप इस बजट पर एक नजर दौड़ायेंगे, तो आप हमारे शिक्षा विभाग की मजबूरी को समझ पायेंगे। हम हमारे एग्जिस्टिंग (वर्तमान) और रेकरिंग (प्रत्यावर्ती) एक्सपेंडिचर (व्यय) को मीट (पूरा) करने के लिए भी बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं। बडी मुश्किलों में है। नोन रेकरिंग (प्रत्यावर्ती) के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है फिर भी माननीय अध्यक्षजी आपके जरिए इस हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिनके मकानात ज्यादातर आज अधूरे पड़े हुए हैं किसी तरह से बजट में प्रोविजन (व्यवस्था) निकाल कर, फालतू खर्चों को बचाकर, उन पसों को उन बिल्डिगों के बनाने के लिए लगाने में मैं जल्दी से जल्दी प्रयत्न करूंगा।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (स्थानीय स्वायत्त शासन) और पंचायतों के बारे में यह कहा गया है कि पंचायतों का काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। इसके लिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लोकल बोडीज़ (स्थानीय मंडलो) का ओर्गेनाइजेशन (संगठन) भी राजस्थान प्रान्त में बिल्कुल नया ही है। जनतंत्रवाद नया है; किन्तु पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपेलिटियां जो अभी तक पुराने ढाचे की ही थी, उनके जो पुराने ढांचे हमारी रियासतों के समय में थे वही स्थिति अभी तक है। अब जनतंत्रवाद के बाद में यह चीज़ बिल्कुल नये पोजिशन (स्थिति) पर काम कर रही है। इसको मजबूत बनाना है। मैं आपके जरिए सदस्यों को प्रेरित करना चाहता हूं कि इनकी स्थिति सुधारने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया जाय। फाइनेंस और ठीक तरीके से काम करने के लिए उनको और कुछ ज्यादा पावर्स (अधिकार) होने चाहिए। वे अधिकार देने के लिए ठीक कानून बनाकर इनको भी सुधारा जायगा।

अब मैं, अपनी बहस को खत्म करने से पहले, माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि जो वर्ड्ज़ (शब्द) हिन्दी में उस भाषण में यूज़ (प्रयोग) किये थे उसमें एक शब्द "नीरस" था और दूसरा यह शब्द कि "हमारी कहानी जो मुसीबतों की कहानी है" मैंने इंगलिश में लिखे थे जिसका अनुवाद नीरस किया था। उसका ठीक अनुवाद नीरस नहीं होता है। आंकड़ों से भारी कहानी, बड़े २ पोथे। जो माननीय सदस्यों के सामने आये हैं उसके लिए मैंने समझा था कि माननीय सदस्य उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे इसलिए उसके लिए नीरस शब्द का प्रयोग किया था। उससे मेरा मतलब यह नहीं था कि यह बिल्कुल ही नीरस है; इसमें कुछ नहीं है। माननीय सदस्यों ने इसमें जो इन्टरप्रिटेशन (अभिप्राय) लिया है उसके लिए उनकी मर्जी की बात है। इसलिए मैंने बजट की स्पीच, जो जवाब देने के उसमें मेरे सारे पोइंटस थे उनको खत्म करने से पहले, हाउस के सामने, आपके जरिए यह कहना चाहूंगा कि जो बजट मैंने इस मौजूदा परिस्थिति में इस हाउस के सामने रखा है वह बिना किसी चीज के छुपाये हुए, बिना कोई लीपापोती किये, इमानदारी के साथ में हमारे प्रान्त के आर्थिक ढांचे का एक चित्रण है जिससे हमारे माननीय सदस्यों को, जो कि पहली बार इस

असेम्बली में आये हैं उनको हमारी वास्तविक, सही स्थिति मालूम पड जाय । ऐसी अवस्था में हमारे माननीय सदस्यों का यह कहना कि इस बजट को जन बूझकर घाटे का बजट बनाया गया है, यह बजट कोई क्रांतिकारी बजट नहीं है, यह बात हाउस के बहुत से माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देती ।

माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान में बहुत से बाहर के प्रान्तों से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपना रोष प्रकट किया । मैं इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि प्रान्त के बाहर से आने वाले लोगों से हमारी सरकार का कोई खास प्रेम हो और राजस्थान के लोगों से खास द्वेष हो, ऐसी कोई बात नहीं थी । मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त में, जो अभी नया ही बना है बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की जगहें हैं जहां पर सलाह के लिए तथा नई २ बातों और नये २ कानूनों को लागू करने में उन्हें नये तौर से चलाने के लिए जैसी कि आपको जानकारी होगी कि जिस तरह इस एसेम्बली में दिल्ली से दो तीन आदमी यहां आये थे, ताकि वे हमें सही रास्ता बता सकें, कोई गल्ती नहीं करें, इस तरह से कई बातें जो हमको बहुत से काम नये करने थे उन कामों की ठीक तरह से जानकारी हासिल करने के लिए और उनको व्यवस्थित ढंग से लाने के लिए बहुत से अफसरों को बाहर से बुलाना पड़ा । वह अफसर आये और उनके अनुभवों से फायदा उठाने के लिए थोड़े समय के लिए उन्हें बुलाया गया है और उनकी सर्विसेज (सेवाओं) का फायदा उठाया गया है । और अगर वह अपना समय खत्म होते ही वापस चले जायं तो लोगों को इसमें रोष नहीं होना चाहिए । उनसे हमको बड़ा प्रेम है और यहां के लोगों से बड़ी नराजगी है, ऐसा सारांश निकालना इस हाउस के लिए सही बात नहीं होगी ।

मैंने अपने बजट के पहले भाषण में बराबर यही कहा था कि फालतू खर्च काटा जायगा । हाउस के चारों तरफ से इस बात की मांग की गई थी कि हमारे फालतू खर्चे को कम किया जाय । सरप्लस घोषित स्टाफ को काम पर लगाया जाय और उनको मुफ्त में बैठे २ तनख्वाह न दी जाय, इस संबंध में हाउस की सदस्यों की सजगता की मैं बडी प्रशंसा करता हूं । फिर दवारा आज सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) मे फालतू खर्चे के लिए एक पैसा भी नहीं होगा । आपके सुझावों का, आपके बताने पर और जितना मुझे पता लगेगा उसको काट कर के उस पैसे को बचाकर हमारे प्रान्त के दूसरे कामों में लगाया जायगा । मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो सदस्यगण इस हाउस में विराजमान हैं वह डैमोक्रेसी (प्रजातंत्रवाद) के वाचडोग (प्रहरी) हैं । सदन में स्पीच होने के बाद ही उनका फर्ज खत्म नहीं हो गया । इन बजट की स्पीचों के बाद उन्हें अपने घरों पर जाकर यह भूल नहीं जाना है कि हर वक्त वे अपने सुझाव देते रहेंगे । समय २ पर अमूल्य सुझाव देंगे और गलत रास्ते पर चल रहे हों तो सही रास्ते पर चलने के लिए इमानदारी और सच्चाई के साथ प्रयत्नशील रहेंगे तो हम सारी बातों की, सारे सुझावों की कद्र करेंगें ।

माननीय अध्यक्ष:-पांच मिनिट ज्यादा हो गये हैं ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः–अभी मैं खत्म करने वाला ही था अध्यक्षजी । पांच मिनट नहीं अब दो मिन में हो खत्म कर लूंगा । अब मैं इस हाउस क माननीय सदस्यों का जिन्होंने सही आलोचना की ,और जो कुछ सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं हाउस के सारे मेम्बरों का, अध्यक्षजी, आपके जरिए शुक्रिया अदा करता हूं क्यों कि उन्होंने बडी कृपा करके और बहस तकरीर की उनसे कइ सुझाव हमको मिले उन पर पूरी तौर से कदम उठाया जायगा ।

अब भी जब डिमान्डस (मांगें) हाउस के सामने आयेगी, उसके लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी जो चार दिन बहस हो चुकी ह, अब इतना समय उन पर नहीं लिया जायगा क्योंकि हाउस का समय बड़ा कीमती है । उन पर थोड़ी सी बहस के बाद, जसा भी हो, निर्णय कर लिया जाय । मुझे इतना ही इस मौके पर इस हाउस से कहना है ।

माननीय अध्यक्षः-बजट पर सामान्य वाद विवाद समाप्त हुए । कल से मांगों की स्वीकृति के बारे में बहस होगी ।

विधान (कानूनी) कार्य

राजस्थान लघु सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२,

माननीय अध्यक्षः–अब माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान लघु सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२, पुरः स्थापित करेंगे ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–माननीय अध्यक्षजी, में निवेदन करता हूं कि मुझे राजस्थान में लघु सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२ सदन के सामने पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

माननीय अध्यक्षः–प्रश्न यह है–राजस्थान लघु सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२ पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें ।
जो इसके विपक्ष में हों वे "ना" कहें ।

श्री जसवन्तसिंहः–माननीय अध्यक्ष, "हां" या "नां" को तय करने के बाद में ठीक तौर पर इसका निर्णय होता है । जब तक उसका निर्णय न होजाए उसको लॉ कोर्ट में चेलेन्ज किया जा सकता है । आपकी तरफ से यह तय किया जाना चाहिए कि कौन जीता ।

माननीय अध्यक्षः–"नां" की कोई आवाज नहीं । इसलिए जब हाउस की राय जान ली जाती है और जब वह इन्ट्रोड्यूस (पुरःस्थापित) हो जाता हैं तो उसे इन्ट्रोड्यूश हुआ मान लिया जाता है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—माननीय अध्यक्ष, यहां पर जीतने हारने का सवाल नहीं है; मगर फिर भी आपकी तरफ से आज्ञा प्रदान होनी चाहिए ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष मैं राजस्थान लघु सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२, का प्रस्ताव सदन के सामने पुरः स्थापित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:—प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन की कार्यवाही अब तारीख १५ को ८।। बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके बाद सदन १२—४० बजे, मंगलवार तारीख १५ अप्रेल, १९५२ को ८।। बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.

टाउन हॉल
जयपुर
१४ अप्रेल, १९५२